

**परिशिष्ट - 1.1.**  
**भाग- क सरकारी लेखे की संरचना और रूपरेखा**  
**(संदर्भ कडिका: 1.1; पृष्ठ सं.-2)**

सरकारी लेखे की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा।

**भाग- I समेकित निधि-** भारत के संविधान के **अनुच्छेद 266(1)** के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों के निर्गमन द्वारा सृजित सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋण के पुर्नभुगतान से प्राप्त सभी राशि एक समेकित निधि का निर्माण करेगी जिसे “राज्य की समेकित निधि” कहा जाता है।

**भाग- II आकस्मिकता निधि-** संविधान के **अनुच्छेद 267(2)** के अंतर्गत गठित आकस्मिकता निधि, राज्य विधान मंडल से स्वीकृति के लिए लंबित अत्यावश्यक आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्यपाल के विवेकाधीन रखे गये अग्रदाय के रूप में होती है। ऐसे व्यय तथा समेकित निधि में हस्तांतरण हेतु राज्य विधान मंडल से परवर्ती अनुमोदन प्राप्त होता है। तत्पश्चात आकस्मिकता निधि अग्रिमों की वापसी निधि में होती है।

**भाग - III लोक लेखा-** कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचन्त, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के **अनुच्छेद 266(2)** के अन्तर्गत लोक लेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल के द्वारा मत का विषय नहीं होता है।

**खण्ड - ख; वित्त लेखे की रूपरेखा**  
(संदर्भ कंडिका: 1.1; पृष्ठ सं.-2)

विवरणी	रूपरेखा
विवरणी सं. 1-	राज्य सरकार के लेन-देन राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से प्राप्तियाँ एवं व्यय, राजस्व एवं पूँजीगत, लोक ऋण प्राप्तियाँ तथा संवितरण आदि का सार प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 2	में 2005-2006 के अंत तक प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय की संशोधित विवरणी सम्मिलित है।
विवरणी सं. 3	सिचाई कार्यों, उनकी राजस्व प्राप्तियों, कार्यरत व्यय तथा अनुसूचना प्रभागों, पूँजीगत परिव्यय, निवल लाभ एवं हानि इत्यादि के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 4	राज्य की ऋण की स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है जिसमें आंतरिक ऋण से उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, अन्य दायित्व एवं ऋण की सेवाएँ सम्मिलित हैं।
विवरणी सं. 5	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, किया गया पुनर्भुगतान, वकाये की वसूलियाँ आदि का संक्षेप प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 6	संविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं* द्वारा सृजित किये गये ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा की गयी प्रत्याभूतियों का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 7	रोकड़ अधिशेषों एवं ऐसे अधिशेषों पर किये गये निवशों के सारांश को दिखाती है।
विवरणी सं. 8	31 मार्च 2006 को समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अधिशेषों के सारांश प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं. 9	वर्ष 2005-06 के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राजस्व एवं व्यय से कुल राजस्व/व्यय की प्रतिशतता को दर्शाती है।
विवरणी सं. 10	वर्ष के दौरान भारत एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को दर्शाती है।
विवरणी सं. 11	लघु शीर्षों के द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 12	लघु शीर्षों के द्वारा गैर-योजना और योजना के अंतर्गत अलग से राजस्व व्यय के लेखा को और मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय को दर्शाती है।
विवरणी सं. 13	2005-06 के दौरान और अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत व्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं. 14	2005-06 के अंत तक राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं आदि में निवेश का विस्तृत व्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 15	2005-06 के अंत तक पूँजीगत एवं अन्य व्यय तथा उस व्यय के लिए प्रदान किये गये मुख्य स्रोतों को प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं. 16	ऋण, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरण एवं अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 17	झारखण्ड सरकार के ऋण एवं अन्य ब्याज वाले दायित्वों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान की राशि, 31 मार्च 2006 का अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 19	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विस्तृत व्यौरा प्रस्तुत करती है।

\* बिहार एवं झारखण्ड के बीच परिसंभक्तियों एवं दायित्वों के अभाव में तैयार नहीं किया गया।

## खण्ड- ग

अध्याय I में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची एवं उनकी गणना के आधार  
(संदर्भ कंडिका: 1.3; पृष्ठ सं.-4)

## गणना का आधार

प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य प्राचल (वाई) के संबंध में प्राचल की उत्प्लावकता (एक्स)	प्राचल की वृद्धि दर (एक्स)/प्राचल की वृद्धि दर (वाई)
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/ गत वर्ष की राशि}) - 1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[( पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व/2]*100
भारित ब्याज दर (Iw )	$Iw = \sum^n I_i W_i$ , I जहाँ ऋण का i वां स्टॉक पर ब्याज की दर है और W i राज्य के कुल ऋण स्टॉक में i वां स्टॉक का अंश है
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि-भारित ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [( आरंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष) 2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति- राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ-विविध पूँजीगत प्रप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव 2048 ऋण के परिहार की कमी के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय को छोड़कर सभी योजनागत अनुदान तथा गैर योजना राजस्व व्यय

**परिशिष्ट 1.2**

(संदर्भ कंडिका: 1.3 और 1.7; पृष्ठ सं.-4 एवं 19)

**31 मार्च 2006 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति**

दायित्व				
31 मार्च 2005 का (करोड़ रुपये में)			31 मार्च 2006 का (करोड़ रुपये में)	
9652.84		आंतरिक ऋण		13017.79
	3310.44	ब्याज वाले बाजार ऋण	3551.22	
	6.92	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.00	
	4.70	जी.बी.नि. से ऋण	4.70	
	1.60	सा.बी.नि. से ऋण	1.60	
	917.77	अन्य संस्थाओं से ऋण	2413.05	
	8.86	अर्थोपाय अग्रिम (आर.बी.आई.)	8.86	
	5402.55	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	7036.36	
		रिजर्व बैंक के जमा में ह्रास		
2991.81		<b>केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम</b>		2846.40
	127.66	1984-85 के पूर्व का ऋण	111.07	
	146.53	गैर योजना ऋण	132.38	
	2681.77	राज्य योजनागत योजना के लिए ऋण	2566.14	
	2.42	केन्द्र योजनागत योजना हेतु ऋण	2.22	
	18.89	केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु ऋण	20.05	
	14.54	अन्य अर्थोपाय अग्रिम	14.54	
150.00		आकस्मिकता निधि		150.00
278.04		लघु बचत, भविष्य निधि आदि		490.50
430.32		जमा		790.25
274.87		रक्षित निधि		331.33
		उचंत एवं विविध शेष		
13777.88		<b>कुल</b>		<b>17626.27</b>

परिसंपत्ति				
4069.01		अचल सम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय		5908.05
	7.04*	कम्पनियों, निगम आदि के शेयर में निवेश	14.04*	
	4061.97	अन्य पूँजीगत परिव्यय	5894.01	
1330.01		ऋण एवं अग्रिम		5067.04
	1095.35	शक्ति परियोजना के लिए ऋण	4746.47	
	207.56	अन्य विकास ऋण	287.31	
	27.10	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	33.26	
392		अग्रिम		5.48
(-)74.94		प्रेषण शेष		13.85
1288.79		उचंत एवं विविध शेष		382.85
884.41		नगद		(-)54.62
		कोषागारों में नकद एवं स्थानीय प्रेषण		
	2.98	विभागीय नकद शेष	110.52	
	0.08	स्थायी अग्रिम	0.11	
	(-)374.07	रिजर्व बैंक में जमा	(-)428.84	
	116.22	चिन्हित निधि का निवेश	116.22	
	1139.20	नगद शेष निवेश	147.37	
6276.68		सरकारी लेखे में घाटा		6303.62
	315.40	वर्ष के दौरान राजस्व घाटा	26.94	
	-	वर्ष के दौरान राजस्व अधिक्य		
	5961.28	संचयी घाटा	6276.68	
13777.88		कुल		17626.27

\* राजस्व लेखा से निवेशित 2 करोड़ रुपये को छोड़कर एवं निगमों के लेखा में 5.25 करोड़ रुपये दिखाया गया लेकिन इसका स्रोत प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट - 1.3  
(संदर्भ कंडिका: 1.3; पृष्ठ सं.-4)  
वर्ष 2005-06 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

प्राप्तियाँ				संवितरण				
2004-2005			2005-2006	2004-2005	गैर योजना	योजना	कुल	2005-2006
(करोड़ रुपये में)				(करोड़ रुपये में)				
	खण्ड-क राजस्व							
<b>6660.51</b>	<b>I राजस्व प्राप्तियाँ</b>		<b>8463.88</b>	<b>6975.91</b>	<b>I राजस्व व्यय</b>			<b>8490.82</b>
2382.79	कर राजस्व	2758.04		<b>2943.08</b>	<b>सामान्य सेवार्ये</b>	<b>3267.69</b>	<b>309.74</b>	<b>3577.43</b>
1052.45	कर भिन्न राजस्व	1426.53		<b>2523.57</b>	<b>सामाजिक सेवार्ये</b>	<b>2084.56</b>	<b>975.74</b>	<b>3060.30</b>
2366.40	संघीय करों में राज्य के हिस्से	3175.89		1375.02	शिक्षा, क्रीड़ा कला एवं संस्कृति	1222.12	405.96	1628.08
85.86	गैर योजना अनुदान	111.72		388.75	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	364.44	107.85	472.29
555.49	राज्य योजना हेतु अनुदान	719.34		117.07	जलापूर्ति स्वच्छता आवास एवं नगर विकास	118.13	48.12	166.25
217.52	केन्द्र तथा केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	272.36		10.92	सूचना एवं प्रसारण	12.85	2.37	15.22
				263.56	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कल्याण	121.77	136.47	258.24
				21.21	श्रम एवं श्रम कल्याण	18.36	8.28	26.64
				341.43	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	219.34	266.69	486.03
				5.61	अन्य	7.55	-	7.55
				<b>1509.19</b>	<b>आर्थिक सेवार्ये</b>	<b>1000.13</b>	<b>852.95</b>	<b>1853.08</b>
				448.88	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	224.09	222.30	446.39
				298.72	नगर विकास	144.50	317.15	461.65
				-	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
				39.05	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	115.71	1.18	116.89
				358.71	ऊर्जा	364.58	76.84	441.42
				82.34	उद्योग एवं खनिज	20.51	102.24	122.75
				203.01	परिवहन	106.54	67.24	173.78
				78.48	सामान्य आर्थिक सेवार्ये	24.20	66.00	90.20
				<b>0.07</b>	<b>सहायता अनुदान अंशदान</b>	<b>0.01</b>	<b>-</b>	<b>0.01</b>
<b>6660.51</b>			<b>8463.88</b>	<b>6975.91</b>	<b>कुल</b>	<b>6352.39</b>	<b>2138.43</b>	<b>8490.82</b>

प्राप्तियाँ				संवितरण				
2004-2005			2005-2006	2004-2005	गैर योजना	योजना	कुल	2005-2006
(करोड़ रुपये में)				(करोड़ रुपये में)				
315.40	II खण्ड "ख" ले जाया गया राजस्व घाटा		26.94	-	II खण्ड "ख"में ले जाया गया राजस्व आधिक्य			
<b>खण्ड - ख</b>								
881.40	ii आरंभिक रोकड़ स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष एवं निवेश सहित		884.41	शून्य	iii आर.बी.आई. से अधिक ओभर ड्राफ्ट का अंतशेष			
	iv विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			1333.43	iv पूँजीगत परिच्यय	2.15	1836.88	1839.03
				19.98	सामान्य सेवायें		76.17	76.17
				226.20	सामाजिक सेवायें		547.13	547.13
				34.36	शिक्षा, क्रीड़ा कला एवं संस्कृति		171.28	171.28
				38.42	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		59.25	59.25
				118.86	जलापूर्ति, स्वच्छता		189.50	189.50
				29.11	आवास एवं नगर विकास		64.61	64.61
				5.45	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण		62.49	62.49
				1087.25	आर्थिक सेवायें	2.15	1213.58	1215.73
				-	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप		7.66	7.66
				540.11	नगर विकास विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		564.94	564.94
				256.88	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.15	340.40	340.55
				48.40	ऊर्जा		30.00	30.00
				-	उद्योग एवं खनिज	2.00	2.00	4.00
				241.11	परिवहन		249.39	249.39
				0.75	अन्य आर्थिक सेवायें		19.19	19.19
7.58	V ऋण एवं अग्रिमों से वसूली		9.81	576.80	V संवितरित ऋण एवं अग्रिम	2659.48	1087.36	3746.84
-	विद्युत परियोजना से		-	490.53	विद्युत परियोजना के लिए	2635.27	1015.85	3651.12
6.48	सरकारी सेवकों से	9.58		10.57	सरकारी सेवकों को	15.74	-	15.74

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2004-2005			2005-2006	2004-2005		गैर योजना	योजना	कुल	2005-2006
(करोड़ रुपये में)				(करोड़ रुपये में)					
1.10	अन्य से	0.23		75.70	अन्य को	8.46	71.52	79.98	
-	VI लाया गया आधिक्य राजस्व			315.40-	VI लाया गया राजस्व घाटा				26.94
3570.10	VII लोक ऋण प्राप्तियाँ		3500.62	801.88	VII लोक ऋण का पूर्ण भुगतान				281.08
3056.74	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण	3494.84		131.70	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभर ड्राफ्ट छोड़कर आंतरिक ऋण			129.89	
-	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन देन			-	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन देन			-	
513.36	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	5.78		670.18	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान			151.19	
-	VIII आकस्मिकता निधि से विनियोग			-	VIII आकस्मिकता निधि से विनियोग				
128.34	IX आकस्मिकता निधि में स्थानांतरित राशि			-	IX आकस्मिकता निधि से व्यय				
2927.42	X लोक लेखा प्राप्ति		3908.13	3602.92	X लोक लेखा संवितरण				2463.70
254.61	लघु बचत एवं भविष्य निधि	408.77		237.63	लघु बचत एवं भविष्य निधि			196.32	
156.06	रक्षित निधि	160.85		87.00	रक्षित निधि			104.40	
(-)57.75	उचंत एवं विविध	89.78		866.16	उचंत एवं विविध			(-)816.16	
1438.44	प्रेषण	1920.26		1362.97	प्रेषण			2009.04	
1136.06	जमा एवं अग्रिम	1328.47		1049.16	जमा एवं अग्रिम			970.10	
	रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट का अंतशेष			884.41	अंत का रोकड़ शेष				(-)54.62
					कोषागार एवं स्थानीय प्रेषण में रोकड़				
				(-)374.07	रिजर्व बैंक में जमा			(-)428.84	
				3.06	अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			110.63	
				116.22	उदृष्ट निधियों का निवेश			116.22	
				1139.20	रोकड़ शेष निवेश			147.37	
7514.84	कुल		8302.97	7514.84	कुल				8302.97

**परिशिष्ट - 1.4**  
(संदर्भ कंडिका: 1.3. पृष्ठ सं.-4)  
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

		स्रोत		
2004-2005				2005-2006
(करोड़ रुपये में)				
6660.51		1. राजस्व प्राप्तियाँ		8463..88
7.58		2. ऋण एवं अग्रिम की वसूली		9.81
2768.22		3. ओवर ड्राफ्ट को छोड़कर लोक ऋण में वृद्धि		3219.54
(-)675.50		4. लोक लेखा से निवल प्राप्तियाँ		1444.43
	16.98	लघुबचतों में वृद्धि	212.45	
	86.90	जमा एवं अग्रिम में वृद्धि	358.37	
	69.06	रक्षित निधि में वृद्धि	56.45	
	(-)923.91	उचंत एवं विविध लेन-देन का निवल प्रभाव	905.94	
	75.47	प्रेषण लेन-देन का निवल प्रभाव	(-)88.78	
128.34	-	5. आकस्मिकता निधि लेन-देन का निवल प्रभाव	-	-
-		6. अंत रोकड़ शेष में कमी		(+ )939.03
<b>8889.15</b>		<b>कुल</b>		<b>14076.69</b>
<b>अनुप्रयोग</b>				
6975.91		1. राजस्व व्यय		8490.82
576.80		2. विकास एवं अन्य उद्देश्यों (ऋण) के लिए ऋण		3746.84
1333.43		3. पूँजीगत व्यय		1839.03
-		4. आकस्मिकता निधि में स्थानान्तरण		-
3.01		5. रोकड़ शेष के अंतशेष में वृद्धि		-
<b>8889.15</b>		<b>कुल</b>		<b>14076.69</b>

**विवरणी I, II एवं III के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ :**

1. पिछली विवरणी में संक्षिप्त लेखाओं को वित्त लेखा में टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा जाय।
2. सरकारी लेखे में मुख्यतः रोकड़ आधार पर होने के नाते सरकारी लेखा पर घाटा जैसा कि विवरणी I में दिखाया गया है, रोकड़ आधार पर स्थिति बताता है जो कि बढ़ोतरी आधारित वाणिज्यिक लेखापन के विपरीत है। परिणामस्वरूप भुगतये या प्राप्त मर्दे अथवा मूल्य हास अथवा भंडार आँकड़ों में विचरण इत्यादि वाली मर्दे लेखे में अंकित नहीं होती हैं।
3. प्रेषण, उचंत एवं विविध शेषों में निर्गत किंतु भुगतान न किये गये चेक, अन्य राज्यों की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य लेन-देन, लम्बित निपटारा आदि।
4. बिहार पुर्नगठन अधिनियम 2000 (2000 की सं.-30) की शर्तों के अनुसार 15 नवम्बर 2000 (यानि निर्धारित दिन) के प्रभाव से बिहार राज्य पुर्नगठित हुआ और एक नया राज्य संयुक्त राज्य बिहार के 18 जिलों से समाविष्ट झारखण्ड राज्य नाम से बना। संयुक्त राज्य बिहार के निर्धारित दिन से ठीक पूर्व परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का बँटवारा एवं अन्य वित्तीय समायोजन बिहार पुर्नगठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के संदर्भ में प्रत्येक मामले में होना है। ऐसा निर्धारण अभी तक मात्र लोक ऋण एवं रोकड़ शेष के संबंध में हुआ है।

परिशिष्ट -1.5

(संदर्भ कंडिका: 1.3 और 1.7; पृष्ठ सं.-4 एवं 19)

राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रेणी आँकड़े

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
	(करोड़ रुपये में)				
<b>भाग-क प्राप्तियाँ</b>					
<b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>4495(74)</b>	<b>4937(72)</b>	<b>5638(70)</b>	<b>6661(65)</b>	<b>8464(71)</b>
i. कर राजस्व	1586(35)	1750(35)	1986(35)	2383(36)	2758(32)
कृषि आय पर कर	-	-			
बिक्री व्यापार आदि पर कर	1239(78)	1366(78)	1601(81)	1882(79)	2212(80)
राजस्व उत्पाद	100(6)	99(5)	96(5)	146(6)	162(6)
वाहनों पर कर	86(5)	105(6)	99(5)	130(5)	138(5)
मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	64(4)	83(5)	82(4)	87(4)	92(3)
भू-राजस्व	10(1)	15(1)	17(1)	17(1)	18(1)
अन्य कर	87(6)	83(5)	91(4)	121(5)	136(5)
ii. कर भिन्न राजस्व	852(19)	987(20)	1106(20)	1053(16)	1427(17)
iii. संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	1603(36)	1703(35)	1980(35)	2366(35)	3176(38)
iv. भारत सरकार से सहायता अनुदान	454(10)	497(10)	566(10)	859(13)	1103(13)
<b>2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ</b>	-	-	-	-	-
<b>3. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2)</b>	<b>4495</b>	<b>4937</b>	<b>5638</b>	<b>6661</b>	<b>8464</b>
<b>4. ऋण एवं अग्रिम की वसूली</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>5. लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>	<b>1585(26)</b>	<b>1889(28)</b>	<b>2422(30)</b>	<b>3570(35)</b>	<b>3501(29)</b>
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम ओवर ड्राफ्ट को छोड़ कर)	1196	1481	1951	3057	3495
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत लेन देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	389	408	471	513	6
<b>6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (3+ 4+ 5)</b>	<b>6082</b>	<b>6829</b>	<b>8064</b>	<b>10239</b>	<b>11975</b>
<b>7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ</b>	-	-	-	-	-
<b>8. लोक लेखा प्राप्तियाँ</b>	<b>1940</b>	<b>3049</b>	<b>3113</b>	<b>2927</b>	<b>3908</b>
<b>9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)</b>	<b>8022</b>	<b>9878</b>	<b>11,177</b>	<b>13166</b>	<b>15883</b>
<b>भाग-ख व्यय/संवितरण</b>					
<b>10. राजस्व व्यय</b>	<b>4800(82)</b>	<b>5509(83)</b>	<b>5406(83)</b>	<b>6976(79)</b>	<b>8491(60)</b>
योजना	1262(26)	1025(19)	1091(20)	1980(28)	2139 (25)
गैर योजना	3538(74)	4484(81)	4315(80)	4996(72)	6352(75)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	1840(38)	2753(50)	2609(48)	2943(42)	3578(42)
समाजिक सेवायें	1897(40)	1935(35)	1869(35)	2524(36)	3060(36)
आर्थिक सेवायें	1062(22)	821 (15)	928(17)	1509(22)	1853(22)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.69(..)	0.72(..)	0.52(..)	0.07(..)	-

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
	(करोड़ रुपये में)				
<b>11. पूँजीगत व्यय</b>	<b>733(12)</b>	<b>866(13)</b>	<b>976(15)</b>	<b>1333(15)</b>	<b>1839(13)</b>
योजना	733(100)	866(100)	976(100)	1333(100)	1837(100)
गैर योजना	-	-	-	-	2
सामान्य सेवायें	7(1)	30(3)	33(3)	20(2)	76(4)
समाजिक सेवायें	123(17)	162(19)	126(13)	226(17)	547(30)
आर्थिक सेवायें	603(82)	674(78)	817(84)	1087(81)	1216(66)
<b>12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण</b>	<b>329(6)</b>	<b>285(4)</b>	<b>134(2)</b>	<b>577(6)</b>	<b>3747(27)</b>
<b>13. कुल (10+11+12)</b>	<b>5862</b>	<b>6660</b>	<b>6516</b>	<b>8886</b>	<b>14077</b>
<b>14. लोक ऋण का पुर्नभुगतान</b>	<b>193</b>	<b>986</b>	<b>987</b>	<b>802</b>	<b>281</b>
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ड्राफ्ट छोड़कर)	2(1)	127(13)	106(11)	132(16)	130(46)
अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	191(99)	859(87)	881(89)	670(84)	151(54)
<b>15. आकस्मिकता निधि से कुल संवितरण</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)</b>	<b>6055</b>	<b>7646</b>	<b>7503</b>	<b>9688</b>	<b>14358</b>
<b>17. आकस्मिकता निधि संवितरण</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18. लोक लेखा संवितरण</b>	<b>2463</b>	<b>2434</b>	<b>2913</b>	<b>3603</b>	<b>2464</b>
<b>19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)</b>	<b>8518</b>	<b>10080</b>	<b>10544</b>	<b>13291</b>	<b>16822</b>
<b>भाग --ग घाटा</b>					
<b>20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य(+)(1-10)</b>	<b>(-)305</b>	<b>(-)572</b>	<b>(+)232</b>	<b>(-)315</b>	<b>(-)27</b>
<b>21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य(+)(3+4-13)</b>	<b>(-)1365</b>	<b>(-1720)</b>	<b>(-)874</b>	<b>(-)2217</b>	<b>(-)5603</b>
<b>22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+)(21-23)</b>	<b>(-)797</b>	<b>(-)301</b>	<b>(+)308</b>	<b>(-)1076</b>	<b>(-)4183</b>
<b>भाग घ - अन्य आँकड़े</b>					
<b>23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में संनिहित)</b>	568	1419	1182	1141	1420
<b>24. राजस्व के बकाये (कर एवं कर भिन्न राजस्व की प्रतिशतता)</b>	1762(72)	2944(107)	1627(53)	1741(51)	1611(38)*
<b>25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता</b>	367	459	452	958	1156
<b>26. अर्थोपाय अग्रिम/उपभुक्त ओवर ड्राफ्ट (दिन)</b>	1	-	31	-	-
<b>27. अर्थोपाय पर ब्याज/ओवर ड्राफ्ट</b>	-	-	1	-	-
<b>28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)</b>	32706	36418 (R. E)	39773(Q)	43687(A)	47117(A)
<b>29. बकाया लोक ऋण (वर्ष के अंत में)</b>	7537	8441	9876	12645	15864
<b>30. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में)</b>	-	-	-	-	-
<b>31. अधिकतम प्रत्याभूत राशि(वर्ष के अंत में)</b>	-	-	-	-	-

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
					(करोड़ रुपये में)
32. अपूर्ण योजनाओं की संख्या	1	1	1	1	11
33. अपूर्ण योजना में अवरूद्ध पूँजी	907	955	1007	1103	1310

टिप्पणी: कोष्टक में आँकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के कुल की प्रतिशतता (पूर्ण रूप में) थी।

आर.ई: संशोधित प्राक्कलन, क्यू:- शीघ्र और ए: अग्रिम प्राक्कलन

\* उत्पाद एवं मद्य निषेध, परिवहन और जल संसाधन विभागों से संबंधित आँकड़ों को छोड़कर।

## परिशिष्ट -1.6

(संदर्भ कंडिका: 1.6.6; पृष्ठ सं.-19)

झारखण्ड राज्य के लिए 1.4.2005 से 31.3.2006 तक की अवधि के लिए सहायता अनुदान (राज्य) से संवधित बकाये उपयोगिता प्रमाण पत्रों के बकाये की विवरणी परंतु 30 सितम्बर 2006 तक प्राप्त नहीं

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	विभाग	वर्ष	बकाया		प्राप्त		प्रतीक्षित		
			मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि	
1.	उद्योग	2004-05							98 (मद)
		2005-06 तक	71 51	43622.74 52109.63	6 18	421.00 45609.07	65 33	43201.74 6500.56	49702.30 (राशि)
2.	पशुपालन	2004-05							46 (मद)
		2005-06 तक	107 28	737.84 230.48	71 18	445.77 76.72	36 10	292.07 153.76	445.83 (राशि)
3.	सहकारिता	2004-05							73 (मद)
		2005-06 तक	50 25	12704.70 7034.62	- 2	- 125.00	50 23	12704.70 6909.62	19614.32 (राशि)
4.	चिकित्सा	2004-05							5 (मद)
		2005-06 तक	8 4	5077.36 7984.65	7 -	5057.36 -	1 4	20.00 7984.65	8004.65 (राशि)
5.	कृषि	2004-05							18 (मद)
		2005-06 तक	8 11	5846.26 3839.95	- 1	- 47.04	8 10	5846.26 3792.91	9639.17 (राशि)
6.	कल्याण	2004-05							18 (मद)
		2005-06 तक	3 15	4623.11 1110.20	- -	- -	3 15	4623.11 1110.20	5733.31 (राशि)
7.	शिक्षा	2004-05							101 (मद)
		2005-06 तक	69 40	58098.24 33505.28	4 4	883.80 20314.18	65 36	57214.44 13191.10	70405.54 (राशि)
8.	शहरी विकास	2004-05							802 (मद)
		2005-06 तक	381 624	12872.61 30079.15	170 33	10619.10 15145.78	211 591	2253.51 14933.37	17186.88 (राशि)
9.	अन्य	2004-05							58 (मद)
		2005-06 तक	61 118	14174.89 21098.76	24 97	372.49 6348.30	37 21	13802.40 14750.46	28552.56 (राशि)
10.	भू-राजस्व	2004-05							2 (मद)
		2005-06 तक	- 2	- 24.36	- -	- -	- 2	- 24.36	24.36 (राशि)
	कुल जोड़		1676	314774.83	455	105465.61	1221	209309.22	

**परिशिष्ट- 2.1**

(संदर्भ कडिका: 2.3.1; पृष्ठ सं.-30)

जिन क्षेत्रों में 10 करोड़ रुपये से अधिक बचतें हुईं

(करोड़ रुपये में)

अनुदान सं. एवं नाम	मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष	जिस क्षेत्र में बड़ी बचत हुई	बचत	बचत के मुख्य कारण
<b>12. वित्त विभाग</b>	<b>2202-01-101-0002-</b>	12वें वित्त आयोग (गैर योजना) की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण	57.82	अक्टूबर 2006 तक कारण नहीं बताये गये
	02-109-0005-	12वें वित्त आयोग (गैर योजना) की अनुशंसा के अन्तर्गत क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण	50.00	अक्टूबर 2006 तक कारण नहीं बताये गये
	<b>2210-01-110-0017</b>	12वें वित्त आयोग (गैर योजना) की अनुशंसा के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में चिकित्सा आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण	20.00	अक्टूबर 2006 तक कारण नहीं बताये गये
	03-103-0005	12वें वित्त आयोग (गैर योजना)की अनुशंसा के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण	37.39	अक्टूबर 2006 तक कारण नहीं बताये गये
<b>15-पेंशन</b>	<b>2071-01-101-2002</b>	पेंशन भोगियों को राहत (गैर योजना)	74.69	अक्टूबर 2006 तक कारण नहीं बताये गये
	102-0001	भारत में भुगतान (गैर योजना)	26.66	अक्टूबर 2006 तक कारण नहीं बताये गये
<b>20. स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग</b>	<b>2210-01-001-0013</b>	सदर अस्पताल (गैर योजना)	24.54	अक्टूबर 2006 तक कारण नहीं बताये गये
	200-0002	अन्य दवाखाना कुष्ठ निवारण कार्यक्रम (गैर योजना)	10.22	अक्टूबर 2006 तक कारण नहीं बताये गये
	03-103-0001	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (गैर योजना)	29.28	अक्टूबर 2006 तक कारण नहीं बताये गये
	0002	स्वास्थ्य उप केन्द्र (गैर योजना)	10.69	अक्टूबर 2006 तक कारण नहीं बताये गये
	0004	रेफरल अस्पताल (गैर योजना)	10.12	अक्टूबर 2006 तक कारण नहीं बताये गये
	05-105-0002	पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज, धनबाद (गैर योजना)	14.85	अक्टूबर 2006 तक कारण नहीं बताये गये
	0003	एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर (गैर योजना)	14.19	अक्टूबर 2006 तक कारण नहीं बताये गये
	<b>2211-101-0402</b>	स्वास्थ्य उप केन्द्र (सी.पी.एस.)	76.44	189.84 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पुराने वाहनों की मरम्मत के लिए निधि उपलब्ध करने के लिए आरोपित की गयी। 7453.87 लाख रुपये की अंतिम बचत के लिए कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)

	102-0401	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सी.पी.एस.)	31.06	256.15 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत पुराने वाहनों की मरम्मत के लिए निधि उपलब्ध करने के लिए आरोपित की गयी। 2850.10 लाख रुपये की अंतिम बचत के लिए कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
<b>22. गृह विभाग</b>	<b>2055-104-0002</b>	असवार सेना पुलिस (गैर योजना)	21.53	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)
	001-0001	अधीक्षण (गैर योजना)	17.07	1,707.32 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत में से 976.23 लाख रुपये (i) स्वीकृत्यादेश जारी होने में विलम्ब एवं प्राधिकार पत्रों (800 लाख रुपये) की प्राप्ति नहीं होना और (ii) प्रशिक्षण शुल्क एवं प्रशिक्षुओं के यात्रा भत्ता (176.23 लाख रुपये) की प्राप्ति नहीं होना आरोपित किया गया। शेष प्रत्याशित बचत 731.09 लाख रुपये के लिए कारण नहीं बताये गये हैं (अक्टूबर 2006)।
	110-0001	चौकीदार दफादार की स्थापना (गैर योजना)	22.25	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
	115-0001	पुलिस आधुनिकीकरण (गैर योजना)	68.31	6830.70 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत निधि के प्रावधान का अधिक होना, क्रयादेश का प्राप्त नहीं होना, जे.ए.पी.आई.टी. को राशि का स्थानांतरण नहीं होना और निविदा का अंतिम रूप नहीं देना आरोपित किया गया।
	0601-	पुलिस आधुनिकीकरण और भवन निर्माण (सी.एस.एस.)	111.61	11161.00 लाख रुपये की प्रत्याशित बचत निधि की कम स्वीकृति को आरोपित की गई।
<b>42. ग्रामीण विकास विभाग</b>	<b>2501-796-0201</b>	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (सी.एस.एस.)	37.93	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
	0202-	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (योजना)	18.15	कारण नहीं बताये गये अक्टूबर 2006
	2505-01-702-0102	इंदिरा आवास योजना (सी.एस.एस.)	18.27	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
	796-0201	समग्र ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	129.27	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
	2515-001-0005-	पंचायत चुनाव (गैर योजना)	13.57	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
	102-0001	पश्च-स्थिति 2 ब्लॉक (गैर योजना)	19.91	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।

	800-0004	अधीक्षण अभियंता (आर.ई.ओ. क्षेत्रीय स्थापना) (गैर योजना)	15.46	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
	2505-702-0101	समग्र ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	80.00	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
	0401	प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (सी.पी.एस.)	25.53	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
	796-0202	इंदिरा आवास योजना (सी.एस.एस.)	69.76	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
	0401	प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (सी.पी.एस.)	76.00	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
	4515-103-0101B	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (सी.पी.एस.)	18.66	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
	796-0201	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण लिंक रोड का निर्माण	17.51	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
<b>44. माध्यमिक प्राथमिक एवं जनशिक्षा विभाग</b>	<b>2202-01-105-0106</b>	झारखण्ड क्षेत्र के लिए राजकीय प्राथमिक और मध्य विद्यालय (सी.एस.एस.)	15.38	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
	02-109-0001	माध्यमिक विद्यालय (गैर योजना)	18.95	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
	03-103-0004	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (गैर योजना)	20.31	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
	01-800-0109	झारखण्ड शिक्षा परियोजना (सी.एस.एस.)	20.26	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
	0110	अनौपचारिक शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान (सी.एस.एस.)	22.50	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
<b>51- कल्याण विभाग</b>	<b>2235-02-102-0602</b>	समेकित बाल विकास योजना (नयी सृजित 52 बाल विकास परियोजनाओं को सम्मिलित कर) (सी.एस.एस.)	16.06	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।
	2236-02-796-0202	परिवार और बाल कल्याण के लिए पोषक आहार वितरण के लिए विशेष योजना	12.47	कारण नहीं बताये गये (अक्टूबर 2006)।

## परिशिष्ट- 2.2

(संदर्भ कंडिका: 2.3.1; पृष्ठ सं.-30)

प्रावधान के 10 प्रतिशत और 1 करोड़ रुपये से अधिक की बचतें

(करोड़ रुपये में)			
क्र.सं.	राजस्व दत्तमत	प्रावधान	बचत
1.	1 कृषि विभाग	169.56	31.55
2.	2 पशुपालन विभाग	78.50	17.54
3.	3 भवन निर्माण विभाग	93.64	16.93
4.	4 मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	18.59	7.85
5.	6 चुनाव	9.27	2.20
6.	8 नागरिक उड्डयन विभाग	67.52	54.90
7.	10 ऊर्जा विभाग	538.93	87.69
8.	12 वित्त विभाग	189.86	169.37
9.	15 पेंशन	774.64	117.48
10.	17 वित्त (वाणिज्यकर) विभाग	19.54	4.88
11.	18 खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्यिक विभाग	73.69	7.80
12.	19 वन एवं पर्यावरण विभाग	196.76	33.64
13.	20 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	827.47	359.07
14.	21 उच्च शिक्षा विभाग	245.51	45.16
15.	22 गृह विभाग	1159.53	275.13
16.	23 उद्योग विभाग	150.96	39.97
17.	25 संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	2.43	1.51
18.	26 श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	149.54	17.10
19.	29 खनन एवं भूतत्व विभाग	18.29	4.50
20.	32 विधान परिषद	13.66	1.38
21.	33 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	7.17	1.37
22.	38 निबंधन विभाग	6.65	1.44
23.	39 विपदा प्रबंधन विभाग	169.85	30.55
24.	40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	120.28	19.69
25.	41 पथ निर्माण विभाग	122.93	14.10
26.	42 ग्रामीण विकास विभाग	1060.24	564.20
27.	43 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	130.69	32.57
28.	44 माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	1471.74	148.00
29.	49 जल संसाधन विभाग	111.37	21.47
30.	51 कल्याण विभाग	587.56	100.87
31.	52 कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग	16.23	7.41
	<b>कुल</b>	<b>8602.60</b>	<b>2237.32</b>

पूँजीगत (दत्तमत)			
1	1 कृषि विभाग	8.00	3.97
2	2 पशुपालन विभाग	6.85	3.22
3	3 भवन निर्माण विभाग	69.35	22.33
4	12 वित्त विभाग	19.00	3.26
5	23 उद्योग विभाग	40.04	40.04
6	30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	12.13	3.77
7	36 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	257.13	67.63
8	41 पथ निर्माण विभाग	296.57	56.92
9	42 ग्रामीण विकास विभाग	668.03	101.87
10	43 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	41.80	16.82
11	47 परिवहन विभाग	62.39	52.65
12	48 नगर विकास एवं आवास विभाग	134.83	25.00
13	49 जल संसाधन विभाग	380.01	81.62
14	50 लघु सिंचाई विभाग	68.00	25.84
	कुल	<b>2064.13</b>	<b>504.94</b>
	कुल योग	<b>10666.75</b>	<b>2742.26</b>

**परिशिष्ट – 2.3**  
(संदर्भ कंडिका: 2.3.2; पृष्ठ सं.-30)  
निधि का अधिक प्रावधान/आबंटन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग संख्या लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	कुल व्यय	बचत	निधि के अधिक प्रावधान के कारण बचत
1.	अनुदान सं. - 2 2404-102-0010 गैर योजना	240.66	169.24	(-)71.42	11.14
2.	अनुदान सं. - 12 2052-090-0008 गैर योजना	437.91	358.44	(-)79.47	16.66
3.	अनुदान सं. - 23 2851-102-0103 योजना	150.00	95.10	(-)54.90	54.90
4.	2852-80-0142 योजना	100.00	31.40	(-)68.60	34.69
5.	796-0228 योजना	3000.00	1339.96	(-)1660.04	1660.04
6.	अनुदान सं. - 27 2014-800-001 गैर योजना	40.13	20.36	(-)19.77	13.67
7.	अनुदान सं. - 30 4225-796-0205 योजना	378.00	183.75	(-)194.25	50.00
8.	अनुदान सं. - 35 2053-796-0203 योजना	14400.00	9750.00	(-)4650.00	3900.00
9.	3454-02-204-0001 गैर योजना	119.44	89.02	(-)30.42	30.42
10.	0603 (सी.एस.एस.)	306.69	245.89	(-)60.80	56.10
11.	अनुदान सं. - 36 4215-01-101-0101 क- सी.एस.एस.	520.00	204.80	(-)315.20	315.20
12.	102-0102 घ- सी.एस.एस.	4405.00	2781.54	(-)1623.46	1623.46
13.	796-0601 क- सी.एस.एस	480.00	39.14	(-)440.86	440.86
14.	0602 सी.एस.एस.	4600.00	2548.61	(-)2051.39	2051.39
15.	अनुदान सं. - 49 4701-80-796-0202 योजना	5020.17	1303.34	(-)3716.83	1008.25
16.	0203 योजना	4611.79	948.54	(-)3663.25	1362.50
17.	800-0109 योजना	2119.04	501.68	(-)1617.36	1600.25
18.	अनुदान सं. - 51 2225-277-0113 योजना	145.00	53.07	(-)91.93	88.42
19.	796-0215 योजना	100.00	60.47	(-)39.53	39.53
20.	0216 योजना	880.00	484.17	(-)395.83	20.30
21.	02-277-0102 योजना	255.00	180.91	(-)74.09	69.09
22.	796-0201 योजना	845.00	635.07	(-)209.93	103.63
23.	0203 योजना	70.00	12.82	(-)57.18	57.18
24.	03-277-0109 योजना	33.70	2.69	(-)31.01	9.08
25.	2251-090-0006 गैर योजना	189.43	10.23	(-)185.57	185.57
	<b>कुल</b>	<b>43446.96</b>	<b>22050.24</b>	<b>(-)21403.09</b>	<b>14802.33</b>

परिशिष्ट- 2.4

(संदर्भ कंडिका: 2.3.3; पृष्ठ सं.- 30)

प्रत्येक मामले में 2 करोड़ रुपये और प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक सतत बचत के मामले

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	बचत (राशि करोड़ रुपये में) और कोष्ठक में प्रावधान से इसकी प्रतिशतता		
		2003-04	2004-05	2005-06
	<b>राजस्व दत्तमत</b>			
1.	1- कृषि विभाग	40.57(28)	49.26(33)	31.55(19)
2.	2- पशुपालन विभाग	15.17(26)	19.94(27)	17.54(22)
3.	3- भवन निर्माण विभाग	16.52(29)	12.47(22)	16.93(18)
4.	8- नागरिक उड्डयन विभाग	29.49(90)	41.32(92)	54.90(81)
5.	15- पेंशन	344.68(38)	307.71(33)	117.48(15)
6.	17- वित्त (वाणिज्यकर) विभाग	5.28(30)	5.26(24)	4.88(25)
7.	18- खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	3.95(18)	42.40(54)	7.80(11)
8.	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	96.78(39)	23.33(12)	33.64(17)
9.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	128.10(37)	82.63(18)	359.07(43)
10.	22- गृह विभाग	140.77(22)	160.71(20)	275.13(24)
11.	23- उद्योग विभाग	54.81(47)	96.47(58)	39.97(26)
12.	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	23.82(27)	33.04(26)	17.10(11)
13.	29- खनन एवं भू-तत्व विभाग	11.12(52)	7.75(38)	4.50(25)
14.	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	31.52(27)	27.62(23)	19.69(16)
15.	41- पथ निर्माण विभाग	14.95(20)	20.57(20)	14.10(11)
16.	42- ग्रामीण विकास विभाग	643.56(65)	746.33(60)	564.20(53)
17.	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	26.19(48)	79.77(60)	32.57(25)
18.	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं जनशिक्षा विभाग	272.90(24)	230.84(16)	148.00(10)
19.	49- जल संसाधन विभाग	4.26(19)	6.95(31)	21.47(19)
20.	51- कल्याण विभाग	159.99(36)	145.16(27)	100.87(17)
21.	52- कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग	7.72(41)	10.15(58)	7.41(46)
<b>पूँजीगत दत्तमत</b>				
1.	3- भवन निर्माण विभाग	9.56(19)	43.55(62)	22.33 (32)
2.	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	10.09(71)	4.55(46)	3.77(31)
3.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	154.71(70)	89.84(43)	67.63(26)
4.	42- ग्रामीण विकास विभाग	197.12(37)	234.01(30)	101.87(15)
5.	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3.54(71)	20.83(66)	16.82(40)
6.	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग	56.86(51)	67.03(51)	25.00(19)
7.	50- लघु सिंचाई विभाग	15.48(32)	44.11(62)	25.84(38)
	<b>कुल</b>	<b>2519.51</b>	<b>2653.60</b>	<b>2152.06</b>

**परिशिष्ट - 2.5**  
(संदर्भ कंडिका: 2.3.6; पृष्ठ सं.- 32)  
मामले जहाँ पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	पूरक अनुदान/विनियोग	बचत
<b>राजस्व</b>			
1.	1- कृषि विभाग	1100.24	3154.79
2.	2- पशुपालन विभाग	330.99	1753.90
3.	3- भवन निर्माण विभाग	14.78	1693.12
4.	4- मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं समन्वय	327.96	784.55
5.	8- नागरिक उड्डयन विभाग	2500.00	5490.15
6.	9- सहकारिता विभाग	2.23	642.37
7.	11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	21.85	96.87
8.	12- वित्त विभाग	88.06	16936.66
9.	16- राष्ट्रीय बचत	16.48	22.06
10.	17- वित्त (वाणिज्यकर) विभाग	63.09	488.44
11.	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	1032.87	3363.72
12.	22- गृह विभाग	13043.69	27512.88
13.	23- उद्योग विभाग	3649.20	3996.60
14.	25- संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	20.50	151.39
15.	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	29.37	1709.65
16.	27- कानून विभाग	210.00	492.83
17.	29- खनन एवं भू-तत्व विभाग	129.22	450.47
18.	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4.00	15.00
19.	32- विधान परिषद्	126.00	138.20
20.	33- सार्वजनिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	14.84	136.50
21.	35- योजना एवं विकास विभाग	40.80	2358.24
22.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	69.00	808.49
23.	37- राजभाषा विभाग	43.38	69.53
24.	38- निबंधन विभाग	18.63	143.74
25.	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	464.21	1969.04
26.	42- ग्रामीण विकास विभाग	7876.09	56420.49
27.	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1121.17	3257.10
28.	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	4965.06	14800.34
29.	46- पर्यटन विभाग	3.66	97.78
30.	47- परिवहन विभाग	21.61	76.18
31.	49- जल संसाधन विभाग	317.06	2146.70
32.	51- कल्याण विभाग	1848.07	10087.38
33.	52- कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग	11.37	741.00
<b>पूँजीगत</b>			
1	1- कृषि विभाग	100.00	397.28

2	2- पशुपालन विभाग	289.00	321.73
3	12- वित्त विभाग	200.00	325.89
4	14- ऋण का पुनर्भुगतान	519.43	5677.32
5	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	173.05	548.43
6	41- पथ निर्माण विभाग	6.65	5691.58
7	42- ग्रामीण विकास विभाग	9109.00	10186.67
8	42- शहरी विकास एवं आवास विभाग	1169.75	2499.86
9	49- जल संसाधन विभाग	225.90	8161.83
10	51- कल्याण विभाग	134.00	221.07
	<b>कुल</b>	<b>51452.26</b>	<b>196037.82</b>

## परिशिष्ट - 2.6

(संदर्भ कंडिका: 2.3.6; पृष्ठ सं.- 32)

मामले जहाँ पूरक प्रावधान अधिक साबित हुए

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	पूरक अनुदान/विनियोग	बचत
राजस्व अनुभाग		(लाख रुपये में)	
1.	6- चुनाव	742.90	219.90
2.	7- सतर्कता	49.35	41.06
3.	10- ऊर्जा विभाग	37302.10	8768.92
4.	18- खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	925.00	779.70
5.	39- विपदा प्रबंधन विभाग	9888.50	3054.82
6.	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग	2429.84	106.31
7.	50- लघु सिंचाई विभाग	530.00	93.49
पूँजीगत अनुभाग			
8.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	10663.15	6763.04
	<b>कुल</b>	<b>62530.84</b>	<b>19827.24</b>

परिशिष्ट - 2.7

(संदर्भ कंडिका: 2.3.6; पृष्ठ सं.- 32)

जहाँ मामले अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त साबित हुए

(लाख रुपये में)					
क्र.सं.	अनुदान/विनियोग सं.	मूल अनुदान/विनियोग	पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
राजस्व अनुभाग					
1.	13- ब्याज भुगतान	92318.57	383.39	141954.50	49252.54
2.	10- ऊर्जा विभाग	56124.09	49094.02	368112.47	262894.36
	कुल	<b>148442.66</b>	<b>49477.41</b>	<b>510066.97</b>	<b>312146.90</b>

## परिशिष्ट- 2.8

(संदर्भ कंडिका: 2.3.7; पृष्ठ सं.- 32)

एक करोड़ रुपये से अधिक प्रत्याशित बचतें अभ्यर्पित नहीं

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पित राशि	अनभ्यर्पित बचत	अनभ्यर्पित प्रतिशतता (करोड़ रुपये में)
	<b>राजस्व (दत्तमत)</b>				
1.	1- कृषि विभाग	31.55	28.65	2.90	09
2.	2- पशुपालन विभाग	17.54	12.35	5.19	30
3.	4- मंत्रिमण्डल समन्वय सचिवालय विभाग	7.85	0.50	7.35	94
4.	8- नागरिक उड्डयन विभाग	54.90	-	54.90	100
5.	15- पेंशन	117.48	-	117.48	100
6.	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	33.64	12.67	20.97	62
7.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	359.07	120.36	238.71	66
8.	22- गृह विभाग	275.13	266.12	9.01	3
9.	25- संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम विभाग	1.51	-	1.51	100
10.	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	17.10	13.98	3.12	18
11.	35- योजना एवं विकास विभाग	23.58	21.44	2.14	9
12.	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	19.69	5.02	14.67	75
13.	41- पथ निर्माण विभाग	14.10	10.59	3.51	25
14.	42- ग्रामीण विकास विभाग	564.20	57.06	507.14	90
15.	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं जनशिक्षा विभाग	148.00	47.77	100.23	68
16.	49- जल संसाधन विभाग	21.47	13.76	7.71	36
17.	51- कल्याण विभाग	100.87	31.15	69.72	69
	<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>				
1.	2- पशुपालन विभाग	3.22	1.53	1.69	52
2.	3- भवन निर्माण विभाग	22.33	20.43	1.90	9
3.	12- वित्त विभाग	3.26	1.97	1.29	40
4.	14- ऋण का पुनर्भुगतान	56.77	0.36	56.41	99
5.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	5.48	2.25	3.23	59
6.	22- गृह विभाग	3.32	0.49	2.83	85
7.	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	3.77	0.51	3.26	86
8.	41- पथ निर्माण विभाग	56.92	41.56	15.36	27
9.	42- ग्रामीण विकास विभाग	101.87	8.73	93.14	91
10.	47- परिवहन विभाग	52.65	50.93	1.72	3
11.	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग	25.00	20.39	4.61	18
12.	49- जल संसाधन विभाग	81.62	46.95	34.67	42
13.	50- लघु सिंचाई विभाग	25.84	11.12	14.72	57
14.	51- कल्याण विभाग	2.21	--	2.21	100
	<b>कुल</b>	<b>2251.94</b>	<b>848.64</b>	<b>1403.30</b>	

**परिशिष्ट -2.9**  
(संदर्भ कंडिका: 2.3.7; पृष्ठ सं.- 32)  
**31 मार्च 2006 को अभ्यर्पण**

(हजार रुपये में)

अनुदान सं.	राजस्व	पूँजीगत	कुल
1	2787,68	1000	279768
2	1214,68	15281	136749
3	1629,63	204308	367271
4	5001	--	5001
6	22039	--	22039
9	57103	--	57103
10	872611	395100	1267711
11	10494	--	10494
12	1734900	19728	1754628
13	2642	--	2642
14	--	3627	3627
16	2238	--	2238
17	47810	--	47810
18	73321	--	73321
19	126663	--	126663
20	1067144	22517	1089661
21	451624	--	451624
22	2611180	4906	2616086
23	381859	400400	782259
24	6228	--	6228
26	139817	--	139817
27	46087	45,00	50587
28	9089	--	9089
29	45876	--	45876
30	1100	5102	6202
32	13298	797	14095
33	13472	--	13472
34	35699	--	35699
35	204447	--	204447
36	85364	694076	779440
37	6358	--	6358
38	14843	--	14843
39	1226476	--	1226476
40	50188	--	50188
41	105872	415587	521459
42	570577	87301	657878
43	326369	200642	527011
44	477696	105	477801
46	8341	--	8341
47	268	509309	509577
48	15355	203872	219227
49	126563	72370	198933
50	2625	111221	113846
51	212990	--	212990
52	64781	120924	185705
<b>कुल</b>	<b>11839607</b>	<b>3492673</b>	<b>15332280</b>

---

---

31 मार्च 2006 से पहले अभ्यर्षित			
1	7758	3,30,00	40758
2	2024	--	2024
20	136459	--	136459
22	50000	--	50000
23	23391	--	23391
35	10000	--	10000
49	11000	397100	408100
51	98500	--	98500
कुल	<b>339132</b>	<b>430100</b>	<b>769232</b>
कुल योग	<b>12178739</b>	<b>3922773</b>	<b>16101512</b>

परिशिष्ट - 2.10

(संदर्भ कंडिका: 2.3.7; पृष्ठ सं.- 32)

मार्च 2006 के दौरान अभ्यर्पित एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	अनुदान/विनियोग	अभ्यर्पित राशि
1.	1- कृषि विभाग	राजस्व दत्तमत	27.88
2.	2- पशुपालन विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	12.15 1.53
3.	3- भवन निर्माण विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	16.30 20.43
4.	6- चुनाव	राजस्व दत्तमत	2.20
5.	9- सहकारिता विभाग	राजस्व दत्तमत	5.71
6.	10- ऊर्जा विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	87.26 39.51
7.	11- उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग	राजस्व दत्तमत	1.05
8.	12- वित्त विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	173.49 1.97
9.	17- वित्त (वाणिज्यकर) विभाग	राजस्व दत्तमत	4.78
10.	18- खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्यिक विभाग	राजस्व दत्तमत	7.33
11.	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	राजस्व दत्तमत	12.67
12.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	106.71 2.25
13.	21- उच्च शिक्षा विभाग	राजस्व दत्तमत	45.16
14.	22- गृह विभाग	राजस्व दत्तमत	261.12
15.	23- उद्योग विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	38.19 40.04
16.	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	राजस्व दत्तमत	13.98
17.	27- कानून विभाग	राजस्व दत्तमत	4.61
18.	29- खनन एवं भूतत्व विभाग	राजस्व दत्तमत	4.59
19.	32- विधान परिषद	राजस्व दत्तमत	1.33
20.	33- सार्वजनिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व दत्तमत	1.35
21.	34- झारखण्ड लोक सेवा आयोग	राजस्व दत्तमत	3.57
22.	35- योजना एवं विकास विभाग	राजस्व दत्तमत	20.44
23.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	8.54 69.41
24.	38- निबंधन विभाग	राजस्व दत्तमत	1.48
25.	39- विपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व दत्तमत	122.65
26.	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व दत्तमत	5.02
27.	41- पथ निर्माण विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	10.59 41.56
28.	42- ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	57.06 8.73
29.	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	32.64 20.06
30.	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	राजस्व दत्तमत	47.77
31.	47- परिवहन विभाग	पूँजीगत दत्तमत	50.93

32.	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	1.54 20.39
33.	49- जल संसाधन विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	12.66 7.24
34.	50- लघु सिंचाई विभाग	पूँजीगत दत्तमत	11.12
35.	51- कल्याण विभाग	राजस्व दत्तमत	21.30
36.	52- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व दत्तमत पूँजीगत दत्तमत	6.48 12.09
	<b>कुल</b>		<b>1526.86</b>

**परिशिष्ट - 2.11**  
(संदर्भ कंडिका: 2.4; पृष्ठ सं.-33)  
बचत से अधिक अभ्यर्पण

					(लाख रुपये में)
क्र.सं.	अनुदान/विनियोग सं.	प्रावधान	बचत	अभ्यर्पण	अधिक अभ्यर्पित
<b>राजस्व अनुभाग</b>					
1.	6- चुनाव	927.46	219.90	220.39	0.49
2.	11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	757.36	96.87	104.94	8.07
3.	12- वित्त विभाग	18936.04	16936.66	17349.00	412.34
4.	16- राष्ट्रीय बचत	327.79	22.06	22.38	0.32
5.	23- उद्योग विभाग	15095.92	3996.60	4052.50	55.90
6.	29- खान एवं भू-तत्त्व विभाग	1829.24	450.47	458.76	8.29
7.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	18062.38	808.49	853.64	45.15
8.	38- निबंधन विभाग	665.16	143.74	148.43	4.69
9.	39- विपदा प्रबंधन विभाग	16984.75	3054.82	12264.76	9209.94
10.	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	13068.56	3257.10	3263.69	6.59
11.	48- शहरी विकास एवं आवास विभाग	6726.15	106.31	153.55	47.24
<b>पूँजीगत शीर्ष</b>					
1.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	25713.15	6763.04	6940.76	177.72
2.	43- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4180.00	1682.43	2006.42	323.99
<b>कुल</b>		<b>123273.96</b>	<b>37538.49</b>	<b>47839.22</b>	<b>10300.73</b>

**परिशिष्ट -2.12**  
(संदर्भ कंडिका: 2.4; पृष्ठ सं.-33)  
अधिक व्यय के बावजूद अभ्यर्पण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग सं.	प्रावधान	अधिक व्यय	अभ्यर्पण
<b>राजस्व अनुभाग</b>				
1.	13- ब्याज भुगतान	92701.96	49252.54	26.42
	<b>पूँजीगत अनुभाग</b>			
1.	10- ऊर्जा विभाग	105218.11	262894.36	3951.00
	<b>कुल</b>	<b>197920.07</b>	<b>312146.90</b>	<b>3977.42</b>

**परिशिष्ट - 2.13**

(संदर्भ कडिका: 2.5; पृष्ठ सं.- 33)

निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान को प्रभावित करने वाला मुख्य शीर्ष	मूल	पूरक	पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण	कुल अनुदान	व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य (+) की राशि
1.	2	2405-796-0206 योजना	145.19	-	(-) 9.33	135.86	254.10	(+)118.24
2.	3	4216-01-700-0101 योजना	362.00	-	(-)41.20	320.80	479.89	(+)159.09
3.		796-0202 योजना	585.96	-	(-) 110.16	475.80	709.70	(+)233.90
4.	6	2015-103-0001 गैर योजना	0.20	305.50	(-)85.58	220.12	236.51	(+)16.39
5.	11	2039-001-0001 गैर योजना	96.30	21.85	(-)12.83	105.32	112.64	(+)7.32
6.	12	2406-01-101-0005 गैर योजना	600.00	-	(-)600.00	-	568.93	(+)568.93
7.	23	2851-102-0002 अ गैर योजना	-	236.66	(-)24.39	212.27	260.43	(+)48.16
8.	36	4215-01-0102 योजना	333.57	2500.00	(-)580.08	2253.49	2389.69	(+)136.20
9.		796-0103 योजना	1410.50	-	(-)166.38	1244.12	1285.64	(+)41.52
10.	39	2245-05-101-0001 गैर योजना	1750.00	820.50	(-)1575.00	995.50	2396.50	(+)1401.00
11.		0002 गैर योजना	5250.00	2461.00	(-)4728.00	2983.00	7189.00	(+)4206.00
12.	41	3054-03-337-0001 गैर योजना	7400.00	-	(-)883.94	6516.06	6942.50	(+)426.44
13.	42	2053-796-0202 योजना	1657.80	-	(-)15.62	1642.18	1868.53	(+)226.35
14.		4515-103-0110 योजना	4370.00	-	(+)244.43	4614.43	3883.60	(-)730.83
15.	43	2203-105-0101 योजना	200.00	-	(-)31.84	168.16	197.23	(+)29.07
16.		800-0102 योजना	3069.00	-	(-)190.17	2878.83	3402.64	(+)523.81
17.		4202-02-104-0102 योजना	1700.00	-	(-)318.80	1381.20	1705.19	(+)323.99

**परिशिष्ट - 2.14**  
(संदर्भ कंडिका: 2.6; पृष्ठ सं.- 33)  
असमाशोधित व्यय की विवरणी

क्र.सं.	विभाग	इकाइयाँ	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	वित्त विभाग	87	891.83
2.	मानव संसाधन विभाग	648	1595.36
3.	परिवहन विभाग	08	16.99
4.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	19	23.00
5.	कानून विभाग	15	1.06
6.	पथ एवं भवन निर्माण विभाग	09	24.42
7.	पंचायती राज	03	(0.0083) 00.00
8.	जल संसाधन विभाग	10	87.27
9.	वन एवं पर्यावरण विभाग	07	3.23
10.	ऊर्जा विभाग	02	443.74
11.	मुद्रांक एवं निबंधन विभाग	09	1.80
12.	खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	01	64.16
13.	खनन एवं भू-तत्व विभाग	06	5.66
14.	आरक्षी (गृह) विभाग	03	33.24
15.	मंत्रिमण्डल सचिवालय सेवार्ये	08	18.93
16.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	116	507.13
17.	आवास विभाग	28	38.74
18.	श्रम एवं नियोजन विभाग	19	24.27
19.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22	695.23
20.	सूचना एवं जन-प्रचार विभाग	03	15.22
21.	शहरी एवं योजना विभाग	04	34.77
22.	पशुपालन (मत्स्य) विभाग	25	28.58
23.	ग्रामीण विकास विभाग	162	621.53
24.	उद्योग विभाग	404	71.32
25.	पर्यटन विभाग	09	22.84
26.	कृषि विभाग	09	37.20
	<b>कुल</b>	<b>1636</b>	<b>5307.52</b>

**परिशिष्ट: 2.15**

(संदर्भ कडिका: 2.7; पृष्ठ सं.- 34)

नई सेवार्य/सेवाओं के नये साधन पर बजट प्रावधान से अधिक व्यय

क्र.सं.	अनुदान विनियोग संख्या/लेखा शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिव्यय
				(लाख रुपये में)
1.	अनुदान सं. - 10 6801 शक्ति परियोजना के लिए ऋण 00 800 विद्युत बोर्डों को अन्य ऋण 0001 झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण (गैर योजना)	3000.00	285591.09	282591.09
2.	अनुदान सं. - 51 2251 सचिवालय सामाजिक सेवार्यें 00 090 सचिवालय 0006 कल्याण विभाग गैर योजना	3.86	10.23	6.37
	<b>कुल</b>	<b>3003.86</b>	<b>285601.32</b>	<b>282597.46</b>

## परिशिष्ट- 3.1

( संदर्भ कंडिका: 3.1.7.4; पृष्ठ सं.-41)

नमूना जाँच की गयी इकाइयों में रोग नैदानिक उपकरणों की स्थिति

इकाई	एक्स रे				अल्ट्रासाउंड				ई.सी.जी.				ई.ई.जी.			
	क्र.	आ.	स्था.	उ.	क्र.	आ.	स्था.	उ.	क्र.	आ.	स्था.	उ.	क्र.	आ.	स्था.	उ.
स.अ. चाईवासा	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न
स.अ. धनबाद	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	न	न	न	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
स.अ. गुमला	हाँ	न	न	न	हाँ	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न
स.अ. हजारीबाग	हाँ	न	न	न	हाँ	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न
स.अ. राँची	हाँ	न	न	न	हाँ	न	न	न	हाँ	न	न	न	न	न	न	न
स.अ. गढ़वा	हाँ	हाँ	हाँ	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न
अनु.अ. बोकारो	हाँ	हाँ	हाँ	न	हाँ	हाँ	हाँ	न	न	न	न	न	न	न	न	न
अनु.अ. तेनुघाट	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	न	न	न	न	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	न	न	न	न
अनु.अ. लातेहार	हाँ	हाँ	न	न	हाँ	हाँ	न	न	न	न	न	न	न	न	न	न

क्र.- क्रय किया गया, आ.- आपूर्ति की गई, स्था.- स्थापित की गई, उ.- उपयोग किया गया,हाँ : हाँ और न : नहीं

परिशिष्ट 3.2

( संदर्भ कंडिका: 3.2.7.1; पृष्ठ सं.-56)

राज्य स्तर पर बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाई. योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों (गेहूँ) का आबंटन तथा उठाव

आँकड़े मी. ट. में

वर्ष	बी.पी.एल.				ए.ए.वाई.			
	आबंटन	उठाव	कमी	प्रतिशत	आबंटन	उठाव	कमी	प्रतिशत
2001-02	340491	141967	198524	58	52961	18530	34431	65
2002-03	428123	196646	231477	54	82519	60766	21753	26
2003-04	341308	223053	118255	35	68736	63178	5558	8
2004-05	318096	233847	84249	26	91260	75367	15893	17
2005-06	251232	192632	58600	23	136308	123657	12651	9
<b>कुल</b>	<b>1679250</b>	<b>988145</b>	<b>691105</b>	<b>41</b>	<b>431784</b>	<b>341498</b>	<b>90286</b>	<b>21</b>

राज्य स्तर पर बी.पी.एल. एवं ए.ए.वाई. योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों (चावल) का आबंटन तथा उठाव

आँकड़े मी. ट. में

वर्ष	बी.पी.एल.				ए.ए.वाई.			
	आबंटन	उठाव	कमी	प्रतिशत	आबंटन	उठाव	कमी	प्रतिशत
2001-02	224906	62504	162402	72	36650	12886	23764	65
2002-03	386769	40001	346768	90	71417	48274	23143	32
2003-04	497960	75017	422943	85	85200	75207	9993	12
2004-05	483016	181601	301415	69	113120	89892	23228	21
2005-06	448992	14152	299840	67	168960	143655	25305	15
<b>कुल</b>	<b>2041643</b>	<b>508275</b>	<b>1533368</b>	<b>77</b>	<b>475347</b>	<b>369914</b>	<b>105433</b>	<b>22</b>

## परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ कंडिका: 3.2.9.1; पृष्ठ सं.-61)

बी.एस.एफ.सी.द्वारा प्रदर्शित खाद्यान्नों का अधिक निर्गमन

क्र.सं.	जिला	अवधि	विपणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार उठाये गये खाद्यान्नों की मात्रा	बि.रा.खा.नि.द्वारा निर्गम हेतु प्रदर्शित खाद्यान्नों की मात्रा	बि.रा.खा.नि. . द्वारा प्रदर्शित आधिक्य निर्गमन	आधिक्य खाद्यान्नों की लागत (करोड़ रूपये में)	अभ्युक्तियाँ
1	डाल्टेनगंज	2004-05 से 2005-06	49444.43 मी.ट.	54534.09 मी.ट.	5089.66 मी.ट.	2.77	टी.पी.डी.एस. योजना के बी.पी.एल. कोटि के
2	हजारीबाग	2004-05	10608.00 मी.ट..	11378.00 मी.ट.	770.00 मी.ट.	0.19	अन्तर्गत टी.पी.डी.एस.योजना के ए.ए.वाई. कोटि
3	राँची	2004-05	45791.00 मी.ट.	52104.00 मी.ट.	6313.00 मी.ट.	3.23	
<b>कुल</b>			<b>105843.43 मी.ट.</b>	<b>118016.09 मी.ट.</b>	<b>12172.66 मी.ट.</b>	<b>6.19</b>	

परिशिष्ट 3.4

( संदर्भ कंडिका: 3.3.7.3; पृष्ठ सं.-70)

अस्वच्छ व्यवसायों में जुड़े बच्चों, को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वृत्तिका का की राशि में विचरण

(लाख रुपये में)

वर्ष	लाभुकों की सं.	आबंटन	प्रति वर्ष प्रति लाभुक दर	कुल स्वीकृति योग्य राशि	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय की राशि	उपयोग नहीं की गयी निधि	नहीं उपयोग की गयी निधि की प्रतिशतता
01-02	10	3.60	250	0.03	0.18	0.15	3.42	95
02-03	200	3.13	250	0.50	1.41	0.91	1.72	55
03-04	168	1.75	400	0.67	1.75	1.08	-	-
04-05	130	1.72	400	0.52	1.10	0.58	0.62	36
05-06	195	2.00	400	0.78	1.50	0.72	0.50	25
<b>कुल</b>	<b>703</b>	<b>12.20</b>		<b>2.50</b>	<b>5.94</b>	<b>3.44</b>	<b>6.26</b>	<b>51</b>

## परिशिष्ट 3.5

( संदर्भ कंडिका: 3.3.8.2; पृष्ठ सं.-71)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को असंवितरित पड़ी वृत्तिका/ छात्रवृत्ति राशि के व्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	जिले	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.ज.	अ.ज.जा.	अ.ज.	अ.ज.जा.	अ.ज.	अ.ज.जा.	अ.ज.	अ.ज.जा.
1	देवघर	16.14	12.12	14.24	29.57	0.21	1.29	0.21	1.29	0.04	1.29
2	दुमका	0.60	24.56	2.41	24.82	-	-	-	-	-	-
3	हजारीबाग	1.51	1.96	15.23	9.99	31.94	15.33	22.86	16.27	13.26	0.47
4	जामताड़ा	5.35	19.58	17.40	11.53	31.67	-	23.36	-	35.22	11.54
	<b>कुल</b>	<b>23.60</b>	<b>58.22</b>	<b>49.28</b>	<b>75.91</b>	<b>63.82</b>	<b>23.73</b>	<b>46.43</b>	<b>17.56</b>	<b>48.52</b>	<b>13.30</b>

परिशिष्ट 3.6

( संदर्भ कंडिका: 3.3.8.2; पृष्ठ सं.-71)

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के ऊपर/ अधिक भुगतान की विवरणी

वर्ष	महाविद्यालय का नाम	छात्रों की सं.	महीनों की सं.	कुल अधिक/ऊपर भुगतान (राशि रूपये में)
2003-04	देवघर कॉलेज ,देवघर	57	116	27610
	ए.एस. कॉलेज, सतसंग देवघर	21	111	8860
	मधुपुर कॉलेज,मधुपुर	28	100	19060
	आर.डी. बाजला कॉलेज, देवघर	1	10	1200
	जामताड़ा कॉलेज, जामताड़ा	40	195	18585
	महिला कॉलेज जामताड़ा	18	72	8505
	<b>कुल</b>	<b>165</b>	<b>604</b>	<b>83820</b>
2004-05	देवघर कॉलेज ,देवघर	102	61	73425
	ए.एस. कॉलेज, सतसंग देवघर	35	67	24845
	मधुपुर कॉलेज, मधुपुर	55	36	45900
	आर.डी. बाजला कॉलेज, देवघर	2	10	900
	जामताड़ा कॉलेज, जामताड़ा	39	208	20295
	महिला कॉलेज जामताड़ा	42	118	18585
	बी.जे.ए.कॉलेज, कुण्डहीत	15	93	6435
	<b>कुल</b>	<b>290</b>	<b>593</b>	<b>190385</b>
2005-06	देवघर कॉलेज ,देवघर	91	93	81120
	ए.एस. कॉलेज, सतसंग देवघर	14	73	14340
	मधुपुर कॉलेज,मधुपुर	89	127	90420
	जामताड़ा कॉलेज, जामताड़ा	84	456	70035
	महिला कॉलेज जामताड़ा	26	51	11520
	बी.जे.ए.कॉलेज,कुंडहीत	22	80	9180
	<b>कुल</b>	<b>326</b>	<b>880</b>	<b>276615</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>781</b>	<b>2077</b>	<b>550820</b>

## परिशिष्ट 3.7

( संदर्भ कंडिका: 3.3.8.3; पृष्ठ सं.-72)

महाविद्यालयों को क्षतिपूर्ति शुल्क का भुगतान नहीं होना: 30.87 लाख रुपये

(लाख रुपये में)

महाविद्यालयों का नाम	वर्ष	बकाये शुल्क की राशि	भुगतान की गयी राशि	भुगतान के लिए शेष
महिला कॉलेज, चाईबासा	1994-95 से 2004-05	19.34	6.82	12.52
संत अगस्टीन कॉलेज, मनोहरपुर	1998-99 से 2005-06	4.63	शून्य	4.63
टाटा कॉलेज, चाईबासा	2005-06	13.72	शून्य	13.72
	कुल	37.69	6.82	30.87

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ कंडिका: 3.3.9; पृष्ठ सं.-73)  
प्राप्त एवं उपभुक्त निधियाँ

(लाख रुपये में)

वर्ष	श्रेणी	कुल उपलब्ध निधियाँ	वास्तविक व्यय	उपयोगिता प्रतिशतता
2001-02	अ.जा.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	अ.ज.जा.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
2002-03	अ.जा.	20.00	20.00	100
	अ.ज.जा.	105.75	105.75	100
2003-04	अ.जा.	20.00	20.00	100
	अ.ज.जा.	55.75	55.75	100
2004-05	अ.जा.	5.40	5.40	100
	अ.ज.जा.	60.00	60.00	100
2005-06	अ.जा.	45.00	39.49	88
	अ.ज.जा.	13.00	शून्य	0
कुल	अ.जा.	<b>90.40</b>	<b>84.89</b>	<b>94</b>
	अ.ज.जा.	<b>234.50</b>	<b>221.50</b>	<b>94</b>
कुल योग		<b>324.90</b>	<b>306.39</b>	<b>94</b>

(स्रोत: टी.डब्ल्यू.सी. राँची)

## परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ कंडिका; 3.3.10; पृष्ठ सं.-74)

आबंटन एवं व्यय

(लाख रुपये में)

वर्ष	कुल उपलब्ध निधियाँ	वास्तविक व्यय	उपयोगिता प्रतिशतता
2001-02	36.57	उ.न.	शून्य
2002-03	22.48	15.31	68
2003-04	44.00	17.73	40
2004-05	40.85	18.92	46
2005-06	64.33	14.33	22
<b>कुल</b>	<b>208.23</b>	<b>66.29</b>	<b>32</b>

(स्रोत: टी. डब्ल्यू. सी.)

**परिशिष्ट 3.10**

( संदर्भ कंडिका: 3.3.11.7; पृष्ठ सं.-77)

अ.जा. एवं अ.ज.जा. लड़कों के छात्रावास का अप्राधिकृत अधिग्रहण

कार्य समाप्ति का वर्ष	छात्रावासों के नाम	क्षमता	मूल्य (लाख रुपये में)	अप्राधिकृत अधिग्रहण
जुलाई 2004	औ.प्र.सं., राँची में अ.ज.जा. लड़के	100	61.70	छात्रावास के निचला तल्ला के कमरा का आम नागरिक द्वारा भंडार के रूप में अनधिकृत रूप से अधिग्रहित किया गया ऊपरी तल्ला पहले से ही आरक्षी काँस्टेबल द्वारा अधिग्रहित कर लिया था।
2001-02	बालक हाई स्कूल टुंडी, धनबाद के हाते	100	61.70	कस्तूरबा गाँधी विद्यालय के प्राधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अधिग्रहित कर लिया गया
2003-04	बनियाडीह विद्यालय, बरमसिया, दुमका में कल्याण छात्रावास	100	61.70	कस्तूरबा गाँधी विद्यालय के प्राधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अधिग्रहित कर लिया गया
जनवरी 2004	अ.ज.जा. बालक छात्रावास मनियाडीह, धनबाद	50	24.55	आरक्षी टुकड़ियों द्वारा अनधिकृत रूप से अधिग्रहित कर लिया गया
उ.न.	जे.टी. डब्ल्यू.आर. आई. राँची के अ.ज.जा. बालक एवं बालिका छात्रावास	100	61.70	बाहरी आदमियों एवं झारखण्ड राज्य जनजातीय सहयोग विकास निगम द्वारा अनधिकृत रूप से अधिग्रहित कर लिया गया।
<b>कुल</b>		<b>450</b>	<b>273.45</b>	

## परिशिष्ट 3.11

( संदर्भ कडिका: 3.3.14.2; पृष्ठ सं.-79)  
पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों का घटिया प्रदर्शन

वर्ष	पाठ्यक्रम का नाम	क्षमता	क्रमांकित छात्रों की सं.	चयनित छात्रों की सं.	सफल विद्यार्थियों की प्रतिशतता
2001-02	उ.न.	135	शून्य	शून्य	
2002-03	राज्य सिविल सेवायें	25	28	शून्य	
	सहायक श्रेणी	20	25	3	
	आशुलिपिक	40	33	3	
	नि.व.लि.	20	19	1	
	कम्प्यूटर (सॉफ्टवेयर)	30	32	2	
	<b>कुल</b>	<b>135</b>	<b>137</b>	<b>9</b>	<b>6.56</b>
2003-04	राज्य सिविल सेवायें	25	20	9	
	सहायक श्रेणी	20	10	4	
	आशुलिपिक	40	12	2	
	नि.व.लि.	20	9	1	
	कम्प्यूटर (सॉफ्टवेयर)	30	30	-	
	<b>कुल</b>	<b>135</b>	<b>81</b>	<b>16</b>	<b>19.75</b>
2004-05	राज्य सिविल सेवायें	25	14	1	
	सहायक श्रेणी	20	25	-	
	आशुलिपिक	40	11	-	
	नि.व.लि.	20	9	1	
	कम्प्यूटर(सॉफ्टवेयर)	30	30	-	
	कम्प्यूटर(हार्डवेयर)	-	13	-	
	<b>कुल</b>	<b>135</b>	<b>102</b>	<b>2</b>	<b>1.96</b>
2005-06	उ.न.	135	शून्य	शून्य	

**परिशिष्ट - 3.12**

(संदर्भ कंडिका: 3.4.5; पृष्ठ सं.-85)


**सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान संस्थान (एस.आर.आई.) के निष्कर्षों का सार**

**1.1 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों का आच्छादन**

सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य 6-14 आयुवर्ग के समस्त बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना है। इसकी उपलब्धि की जाँच करने के लिए तथा यह जानने हेतु कि क्या विद्यालयों में उक्त आयुवर्ग के बच्चों का नामांकन पूर्ण हुआ। 6-14 आयुवर्ग के बच्चों की संख्या का आकलन किया गया।

6-14 वर्ष के बच्चों की आकलित संख्या 65,29,284 है, जिसमें से 35,28,350 लड़के एवं 30,00,935 लड़कियाँ हैं। उपयुक्त बच्चों में यह आकलित किया गया कि 7,54,521 बच्चे विद्यालय से बाहर थे, जिसमें 3,06,762 लड़के एवं 4,47,759 लड़कियाँ हैं। अनुपात की भाषा में झारखण्ड में 6-14 वर्ष आयुवर्ग में प्रति 1000 बच्चों में लगभग 116 बच्चे विद्यालय से बाहर थे। इसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 128 बच्चे और शहरी क्षेत्र में 54 बच्चे विद्यालय से बाहर थे। लिंग के आधार पर यह पाया गया कि 149 लड़कियाँ एवं 87 लड़के विद्यालय से बाहर थे।

**सामाजिक श्रेणी के आधार पर विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या नीचे दर्शायी गयी है:**



**6-14 वर्ष आयु वर्ग में प्रति हजार बच्चे**

विद्यालय से बाहर के बच्चों का लिंग विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है यह देखते हुए कि विद्यालय से बाहर लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात अधिक था। जब सामाजिक वर्ग पर दृष्टि डालते हैं तो यह पाया जाता है कि हासिये पर के सामाजिक वर्ग यथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिक बच्चे विद्यालय से बाहर हैं।

### 1.2 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों का आच्छादन

लगभग 7.4 प्रतिशत गाँव एवं 26.5 प्रतिशत शहरी प्रखण्ड विद्यालय से अच्छादित नहीं थे। उनमें से जो विद्यालय अध्ययन के अन्तर्गत हैं, लगभग 99.1 प्रतिशत प्राथमिक, 99.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 100 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुदान/सहायता प्राप्त किया। उसमें शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत प्राथमिक, 98.8 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 100 प्रतिशत उच्च विद्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 98.6 प्रतिशत प्राथमिक, 99.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 100 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुदान/सहायता प्राप्त किया।

### 1.3 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत असैनिक कार्य एवं सुविधाएँ

विद्यालयों में से जहाँ असैनिक कार्य कराये गये लगभग 20.8 प्रतिशत प्राथमिक, 42.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 42.9 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में नये भवन बन रहे हैं एवं लगभग 49.7 प्रतिशत प्राथमिक, 51.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 57.1 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने सूचित किया कि निधि का उपयोग वर्तमान संरचना की मरम्मत में किया जा रहा है। कुछ विद्यालयों में स्वच्छता सुविधा यथा 11.0 प्रतिशत प्राथमिक, 19.8 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 0.4 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में शौचालय के निर्माण हेतु सूचित किया गया। पुनः लगभग 6.2 प्रतिशत प्राथमिक, 11.2 प्रतिशत उच्च विद्यालय एवं 0.3 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने बालिकाओं के लिए वर्तमान शौचालयों के अतिरिक्त शौचालयों के निर्माण हेतु सूचित किया।

लगभग 2.5 प्रतिशत प्राथमिक, 4.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 0.3 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने सूचित किया कि सर्व शिक्षा अभियान की निधि का उपयोग पुस्तकालय निर्माण के लिए किया गया एवं 2.8 प्रतिशत प्राथमिक, 7.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 0.6 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने सूचित किया कि शिक्षकों के लिए कमरा बनाया गया। लगभग 5.5 प्रतिशत प्राथमिक, 11.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 0.4 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने अलग से प्रधानाध्यापक के लिए कमरा बनाये जाने की सूचना दी जो मूलरूप से सर्व शिक्षा अभियान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रावधान है।

कुछ विद्यालयों ने यह भी सूचित किया कि सर्व शिक्षा अभियान की निधि की उपयोग बच्चों में अच्छी शिक्षा का वातावरण पैदा करने के लिए हो रहा था। उसमें से कुछ पुस्तकालय की पुस्तकें (11.3 प्रतिशत प्राथमिक में, 19.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में और 0.4 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में), कम्प्यूटर (0.6 प्रतिशत प्राथमिक में, 5.0 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में एवं उच्च

विद्यालयों में एक भी नहीं), काला पट (33.4 प्रतिशत प्राथमिक में, 31.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में एवं 0.4 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में) एवं विद्युत फिटिंग्स (2.0 प्रतिशत प्राथमिक में, 6.7 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में एवं 0.3 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में)। कुछ ऐसी अन्य चीजें, जिसपर सर्व शिक्षा अभियान की निधि का उपयोग किया गया, में संदर्भ पुस्तकें (11.2 प्रतिशत प्राथमिक में, 11.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में एवं 0.1 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में), कम्प्यूटर प्रशिक्षण (0.6 प्रतिशत प्राथमिक में एवं 2.9 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में) एवं आवश्यक चीजें यथा खल्ली (35.3 प्रतिशत प्राथमिक में, 33.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में एवं 0.6 उच्च विद्यालयों में), झाड़न (32.4 प्रतिशत प्राथमिक में, 32.0 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में एवं 0.4 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में) शामिल हैं। अधिकांश विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान की निधि से बनायी गयी परिसंपत्तियों की जाँच नहीं की जा सकी।

#### **1.4 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुदान का उपयोग**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न अनुदानों का प्रावधान, विद्यालयों एवं शिक्षकों को पाठ्य सामग्रियों की अधिप्राप्ति के साथ साथ पाठ्य सामग्रियों के बदलाव, पाठ्य सामग्रियों को तैयार करने, शिक्षा गारंटी केन्द्रों का प्राथमिक विद्यालयों में उत्कमण हेतु सहायता ताकि सामग्री क्रय की जा सके एवं अलग-अलग पड़े विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, बनाया गया है। यह पाया गया कि लगभग 85.00 प्रतिशत प्राथमिक, 86.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 42.9 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने विद्यालय अनुदान पाया एवं लगभग 81.1 प्रतिशत प्राथमिक, 80.9 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 71.4 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने शिक्षक अनुदान प्राप्त किया एवं 2.7 प्रतिशत प्राथमिक, 6.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 14.3 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान किये गये अनुदान पाया।

#### **1.5 सामुदायिक अंतर्ग्रस्तता**


यह पाया गया कि स्थानीय स्तर पर लगभग 46.4 प्रतिशत प्राथमिक, 44.3 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 0.8 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में उच्च प्राथमिक अनुभाग में शिक्षा समिति बनी थी। 44.1 प्रतिशत प्राथमिक, 44.1 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 0.8 प्रतिशत उच्च विद्यालयों में समिति संयुक्त बैंक लेखा विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ प्रारंभ की गयी ताकि विद्यालय के विकास हेतु किये गये खर्च का लेखा-जोखा रखा जा सके। प्रतिवेदन के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 69.8 प्रतिशत सामुदायिक सदस्यों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

#### **1.6 विद्यालय की आधारभूत संरचना**

लगभग 8.2 प्रतिशत प्राथमिक एवं 0.9 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय कच्चा संरचना में चल रहे थे, जो मूल रूप से संरचनात्मक टिकाऊ नहीं थे, अतः ऐसी संरचना में विद्यालय जैसी संस्था का संचालन योग्य नहीं था। जबकि 4.7 प्रतिशत प्राथमिक और 7.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों को देखा गया कि वह अर्ध-पक्का था और लगभग 78.4 प्रतिशत

प्राथमिक, 90.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं सभी उच्च विद्यालय, उच्च प्राथमिक अनुभाग सहित पक्का था। रोचक यह था कि लगभग 8.8 प्रतिशत प्राथमिक और 1.2 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अपना कोई भवन नहीं था।

विद्यालयों की आधारभूत संरचना का विस्तृत विहंगावलोकन नीचे की तालिका में दिया गया है:



(प्रतिशत में)

- ऐसी योजनाओं में 17.5 प्रतिशत प्राथमिक, 15.7 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 28.6 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने “ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड” के कार्यान्वयन की सूचना दी।
- मध्याह्न भोजन योजना, सरकार का एक अच्छा कार्यक्रम, राज्य में 82.5 प्रतिशत प्राथमिक, 94.6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 42.9 प्रतिशत उच्च विद्यालय में उच्च प्राथमिक अनुभाग के साथ, क्रियान्वयन की सूचना दी गयी।
- निधि से युक्त कार्यक्रम 2.3 प्रतिशत प्राथमिक एवं 4.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में “जनशाला” कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सूचना मिली जो मूलतः यूनीसेफ सहायता प्राप्त एक कार्यक्रम है और जो सरकारी विद्यालयों में सीखने के अनुभव को बढ़ाता है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन उच्च विद्यालयों, जहाँ उच्च प्राथमिक अनुभाग थे, में नहीं किया गया।

- बालिकाओं की विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु 2.9 प्रतिशत प्राथमिक एवं 9.0 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक अनुभाग सहित उच्च विद्यालयों में एन.पी.ई.जी.ई.एल. कार्यान्वित नहीं किया गया जैसा कि एन.पी.ई.जी.ई.एल. कार्यान्वयन की सूचना थी। नियमित विद्यालयों के अतिरिक्त, वैसे बच्चे जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं उन्हें बैक टू स्कूल कैम्प में लाने के लिए योजना को लागू किया गया। राज्य के लगभग 7.9 प्रतिशत प्राथमिक, 11.5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 14.3 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने बताया कि बैक टू स्कूल कैम्प का संचालन किया जा रहा है।
- इस संबंध में 89.2 प्रतिशत प्राथमिक, 86.8 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 85.7 प्रतिशत उच्च विद्यालयों ने बताया कि शिक्षण सामग्रियाँ (टी.एल.एम.) सभी वर्गों को दी गयी हैं एवं लगभग 8.5 प्रतिशत प्राथमिक, 12.4 प्रतिशत उच्च प्राथमिक एवं 14.3 प्रतिशत उच्च विद्यालयों, जिसमें उच्च प्राथमिक अनुभाग है, ने कहा कि टी.एल.एम. कुछ वर्गों को दिया गया है। लगभग 2.3 प्रतिशत प्राथमिक एवं 0.9 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों ने बताया कि टी.एल.एम. प्रदान नहीं किया गया है।

### 1.7 शिक्षा योजनाओं का प्रभाव

पूरे राज्य में 24.3 प्रतिशत अभिभावकों ने बताया कि सामर्थ्य का अभाव ही बच्चों को विद्यालय नहीं जाने का मुख्य कारण था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमुख कारणों यथा विद्यालय जाना पसन्द नहीं करते (13.7 प्रतिशत) एवं विद्यालय हेतु उम्र की कमी (11.9 प्रतिशत) को भी बताया गया।

लिंग विभाजन के आधार पर 28 प्रतिशत एवं 14.3 प्रतिशत अभिभावकों द्वारा लड़कों के लिए दिये गये “विद्यालय हेतु उम्र की कमी है” की तुलना में लड़कियों का नामांकन नहीं होना का सामर्थ्य ही प्रमुख कारण था। स्थान के प्रकार पर भी कारण बदलते थे, जैसे ग्रामीण इलाके के 28.7 प्रतिशत अभिभावकों ने सामर्थ्य को एवं शहरी इलाके के 16.1 प्रतिशत अभिभावकों ने माना कि विद्यालय हेतु उम्र की कमी को विद्यालय में अल्प नामांकन के लिए कारण बताया गया।

### 1.8 शिक्षा की गुणवत्ता

- जो बच्चे विद्यालय जाते हैं उनमें से लगभग 1.2 प्रतिशत बच्चों ने विद्यालय समय पर नहीं खुलने का जिक्र किया। जबकि शहरी क्षेत्र के 1 प्रतिशत बच्चों ने ऐसा कहा और यह अनुपात ग्रामीण इलाके में कुछ अधिक था, यथा 1.4 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने विद्यालय को सही समय पर नहीं खुलना बताया। यह रोचक था कि लगभग 1.2 प्रतिशत बच्चों ने विद्यालय कभी नहीं खुलने का जिक्र किया।

---

इसका अर्थ हुआ कि अघोषित छुट्टियाँ दी जाती हैं, जो वर्ष के सम्पूर्ण दिनों की संख्या को प्रभावित करता है जिसमें यह माना जाता है कि बच्चे साल भर विद्यालय आये।

- बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के निर्धारण में शिक्षकों की भूमिका भी आलोचनात्मक है। लगभग 0.3 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि शिक्षक विद्यालय आने में बहुत ही अनियमित रहते हैं और लगभग 1.5 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि शिक्षक विद्यालय में उतने नियमित नहीं रहते। लगभग 2.3 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि जितने समय के लिए कक्षा निर्धारित है शिक्षक पूरे समय कक्षा में नहीं पढ़ाते। ऐसा 2.5 प्रतिशत ग्रामीण एवं 1.9 प्रतिशत शहरी इलाके के बच्चों ने कहा।

### 1.9 समग्र संतोषजनक स्तर

सम्पूर्णता की दृष्टि से 20.3 प्रतिशत अभिभावकों ने, जिनके बच्चे विद्यालय जाते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता से अपने आपको संतुष्ट बताया जबकि 4.9 प्रतिशत ने असंतोष व्यक्त किया।

परिशिष्ट 3.13

( संदर्भ कंडिका: 3.4.9.14; पृष्ठ सं.-95)

जे.ई.पी.सी. राँची का संस्वीकृत बल एवं मानव स्थिति की विवरणी

क्र.सं.	पद का नाम	ग्रेड	संस्वीकृत पद की सं.			कुल संस्वीकृत पद	कर्मचारियों की सं.			कर्मचारियों की कुल सं.	रिक्त			कुल रिक्त	अभ्युक्तियाँ
			जि.प्रा.शि.का.	जनशाला	स.शि.अ.		जि.प्रा.शि.का.	जनशाला	स.शि.अ.		जि.प्रा.शि.का.	जनशाला	स.शि.अ.		
1	राज्य परियोजना निदेशक	I	1			1	1			1	0	0	0	0	
2	अध्यापन कला विशेषज्ञ	I	1			1	1			1	0	0	0	0	
3	वित्त नियंत्रक	I	1			1	1			1	0	0	0	0	
4	वरीय अधीक्षक (शिक्षक प्रशिक्षण)	I	1			1	0			0	1	0	0	1	
5	वरीय अधीक्षक (कार्यक्रम समन्वयन)	I	1			1	1			1	0	0	0	0	प्रति नियुक्ति पर
6	प्रशासनिक अधिकारी	I	1			1	1			1	0	0	0	0	
7	अधीक्षक (महिला एवं बाल विकास)	I	1			1	0			0	1	0	0	1	
8	अधीक्षक (समेकित शिक्षा)	I			1	1		0		0	0	0	1	1	
9	पूर्व जनजातीय शिक्षा	I			1	1		0		0	0	0	1	1	
10	अधीक्षक एम.आर.ई.	I			1	1		1		1		0	0	0	
11	समन्वयक, एम.आई.एस.	I			1	1		0		0	0	0	1	1	

12	अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक	I			2	2			0	0	0	0	2	2	
13	अतिरिक्त वित्त नियंत्रक	I			1	1			0	0	0	0	1	1	
14	सिविल कार्य अभियंता	I		1	1	2		0	0	0	0	1	1	2	
15	शिक्षा अधीक्षक	I		1		1		0		0	0	1	0	1	
16	राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी	I		2		2		1		1	0	1	0	1	प्रतिनियुक्ति पर
17	दूर शिक्षा समन्वयक	I			1	1	1		1	1	0	0	0	0	
18	पूर्व-एम.आई.एस.	II	1			1				1	0	0	0	0	
19	सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी	II		3	1	4		3	1	4	0	0	0	0	एक प्रतिनियुक्ति पर
20	कोर दल सदस्य (महिला विभाग)	II		2		2		2		2	0	0	0	0	
21	वित्त अधिकारी	II		1		1		0		0	0	1	0	1	
22	कार्यपालक अभियंता	II			1	1			0	0	0	0	1	1	
23	संयुक्त अतिरिक्त अधिकारी	II			2	2			0	0	0	0	2	2	
24	वित्त एवं लेखा अधिकारी	II	1		1	2	1		0	1	0	0	1	1	
25	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	II	1			1	0		0	0	1	0	0	1	
26	लेखाकार	II	1	2	2	5	1	1		2	0	1	2	3	एक प्रतिनियुक्ति पर
27	लेखापरीक्षक	II			1	1			0	0	0	0	1	1	
28	अनुसंधान अधिकारी	II			1	1			0	0	0	0	1	1	
29	व. लेखापरीक्षक	II	1			1	1		0	1	0	0	0	0	

31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक)

30	कम्प्यूटर संचालक	III	2	2		4	2	1		3	0	1	0	1	
31	आशुलिपिक	III	6			6	5			5	1			1	
32	आशुलिपिक सह कम्प्यूटर चालक	III			11	11			4	4			7	7	
33	संचालक	IV	4			4	0			0	4	0	0	4	
34	चपरासी	IV	5			5	1			1	4	0	0	4	
35	गार्ड/सफाईवाला	IV	1			1	0			0	1	0	0	1	
कुल			<b>30</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>73</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	

## परिशिष्ट 3.14

( संदर्भ कंडिका: 3.4.9.14; पृष्ठ सं.-95)  
जिलों में संस्वीकृत बल एवं मानव स्थिति की विवरणी

ग्रेड	क्र.सं.	पद का नाम	संस्वीकृत बल की सं.	कार्यरत कर्मचारी की सं.	रिक्त
ग्रेड - I	1	जिला कार्यक्रम समन्वयक/पदाधिकारी	22	22	0
	2	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/पदाधिकारी	17	1	16
ग्रेड - II	1	सहायक कार्यक्रम अधिकारी	86	29	57
	2	लेखा अधिकारी	22	7	15
	3	सहायक अभियंता	44	10	34
	4	कनीय अभियंता	24	21	3
	5	जिला संसाधन कर्मचारी	10	2	8
	6	सहायक संसाधन कर्मचारी	28	22	6
	7	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	22	6	16
	8	लेखाकार	6	6	0
ग्रेड - III	1	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	6	1	5
	2	लेखा सहायक	12	3	9
	3	भंडारपाल	6	4	2
	4	क्रय सहायक	6	3	3
	5	आशुलिपिक	6	0	6
	6	टंकन	12	6	6
	7	लेखाकार सह कम्प्यूटर संचालक	16	5	11
	8	आशुलिपिक सह कम्प्यूटर संचालक	16	5	11
ग्रेड - IV	1	चालक	26	8	18
	2	चपरासी/रात्रि प्रहरी	36	12	24
		<b>कुल</b>	<b>423</b>	<b>173</b>	<b>250</b>

परिशिष्ट - 4.1 (क)

(संदर्भ कंडिका: 4.5.1; पृष्ठ सं.-132)

31 मार्च 2006 तक कार्य संभाग में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकार्यें

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	भाग - क कंडिका	भाग - ख कंडिका
1984-85	3	1	3
86-87	2	3	1
87-88	1	0	1
88-89	7	2	10
89-90	6	2	8
90-91	13	5	11
91-92	10	1	9
92-93	5	1	5
93-94	21	12	15
94-95	19	12	14
95-96	28	10	38
96-97	35	43	29
97-98	15	35	21
98-99	24	9	25
99-00	30	23	29
2000-01	85	77	467
01-02	128	92	598
02-03	158	199	830
03-04	140	181	783
04-05	127	232	764
05-06	139	218	769
<b>कुल</b>	<b>996</b>	<b>1158</b>	<b>4430</b>

## परिशिष्ट - 4.1 (ख)

(संदर्भ कंडिका: 4.5.1; पृष्ठ सं.-132)

31 मार्च 2006 तक नदी घाटी परियोजना संभाग में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकार्ये

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	भाग "क"	भाग "ख"
		कंडिका	कंडिका
1986-87	4	1	5
1987-88	25	25	40
1988-89	21	25	32
1989-90	31	42	19
1990-91	25	34	32
1991-92	41	91	67
1992-93	24	27	22
1993-94	38	70	07
1994-95	22	20	40
1995-96	29	26	78
1996-97	26	45	81
1997-98	33	29	92
1998-99	19	29	70
1999-00	12	18	51
2000-01	18	31	69
2001-02	53	39	219
2002-03	35	23	85
2003-04	41	58	249
2004-05	35	39	195
2005-06	47	46	369
<b>कुल</b>	<b>579</b>	<b>718</b>	<b>1822</b>

परिशिष्ट - 4.1 (ग)

(संदर्भ कंडिका: 4.5.1; पृष्ठ सं.-132)

31.03.2006 तक ओ.ए.डी.(एन.सी.) संभाग में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकार्यें

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	भाग “क”	भाग “ख”
		कंडिका	कंडिका
1997-98	1	4	2
1999-00	1	4	1
2000-01	291	294	1793
2001-02	374	267	2030
2002-03	379	252	1910
2003-04	563	427	2641
2004-05	416	426	2097
2005-06	212	239	1215
<b>कुल</b>	<b>2237</b>	<b>1913</b>	<b>11689</b>

## परिशिष्ट - 4.1 (घ)

(संदर्भ कंडिका: 4.5.1; पृष्ठ सं.-132)

31.3.2006 तक समेकित लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएँ

	निरीक्षण प्रतिवेदन की कुल संख्या	भाग “क” के अंतर्गत बकाये कंडिकाओं की संख्या	भाग “ख”के अन्तर्गत बकाये कंडिकाओं की संख्या	कुल योग
कार्य	996	1158	4430	5588
आर.भी.पी.	579	718	1822	2540
ओ.ए.डी.	2237	1913	11689	13602
<b>कुल</b>	<b>3812</b>	<b>3789</b>	<b>17941</b>	<b>21730</b>

10 वर्षों से अधिक समय से लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाएँ

कार्य	115	49	115	164
आर.भी.पी.	260	361	342	703
ओ.ए.डी.	00	00	00	00
<b>कुल</b>	<b>375</b>	<b>410</b>	<b>457</b>	<b>867</b>

परिशिष्ट - 4.2

( संदर्भ कंडिका: 4.5.2; पृष्ठ सं.-134)

विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

वर्ष	कंडिकाओं की कुल संख्या	विभाग की संख्या
2001-02	3	2
2002-03	15	10
2003-04	12	11
2004-05	17	12
	<b>47</b>	<b>35</b>

## परिशिष्ट -5.1

(संदर्भ कंडिका: 5.1.6. 4; पृष्ठ सं.-140)

31.3.2006 तक डी.सी.विपत्रों के उप स्थापित नहीं किये जाने की विवरणी

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	कुल
बोकारो	--	--	--	--	2712500	2712500
दुमका	1486660	--	2333400	3018949	1799500	8638509
गढ़वा	--	--	--	--	140000	140000
गुमला	279819	763500	312083	1686712	9734868	12776982
हजारीबाग	--	69025	2000000	6197000	--	8266025
पलामू	4254296	3991638	2029240	7995500	9926875	28197549
<b>कुल</b>	<b>6020775</b>	<b>4824163</b>	<b>6674723</b>	<b>18898161</b>	<b>24313743</b>	<b>60731565</b>

परिशिष्ट – 6.1

(संदर्भ कडिका: 6.1.3; तथा 6.1.5; पृष्ठ सं. 148 एवं 149)

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के संबंध में 31 मार्च 2006 तक प्रदत्त पंजी, बजटीय निर्गमन, बजट के बाहर से दिया गया ऋण तथा बकाये ऋण की दर्शाने वाली उद्यतन विवरणा

(कॉलम 3(क) से 4 (च) तक के आँकड़े लाख रुपये में)

क्रम सं.	कंपनी का नाम और क्षेत्र	चालू वर्ष के अन्त में पूंजी का भुगतान					वर्ष के दौरान प्राप्त बजट से अधिक इक्विटी/ ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण	2005-06 के अंत में बकाया <sup>1</sup> ऋण			2005-06 (पिछले वर्ष) के लिए ऋण एवं इक्विटी का अनुपात 4(च)/3(ड)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कंपनियों	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		सरकार	अन्य	कुल	
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ड)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड)	4(च)	5
क.	सरकारी कंपनियों												
	कृषि												
1.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लि.	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	525.00	-	525.00	1.05 (1.05)
	निर्माण												
2.	झारखण्ड आरक्षी आवासीय निगम लि.	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-
	पर्यटन												
3.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड अंश आवेदन राशि	50.00	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-
		25.00	-	-	-	25.00	25.00						
	वन एवं पर्यावरण												
4.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि.	5.00	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-
	खनन												
5.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (क)	<b>780.00</b>	-	-	-	<b>780.00</b>	<b>25.00</b>	-	-	<b>525.00</b>	-	<b>525.00</b>	-
ख	सांविधिक निगम												
	शक्ति												
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत् परिषद	-	-	-	-	-	-	321.26	-	239528 <sup>2</sup>	6554	246082	-
	कुल (ख)	-	-	-	-	-	-	<b>321.26</b>		<b>239528</b>	<b>6554</b>	<b>246082</b>	-
	सकल योग (क + ख)	<b>780.00</b>	-	-	-	<b>780.00</b>	<b>25.00</b>	<b>321.26</b>		<b>240053</b>	<b>6554</b>	<b>246607</b>	-

नोट :- आँकड़े अनन्तिम हैं जैसा कि कंपनियों और निगमों द्वारा दिए गए हैं।

<sup>1</sup> 2005-06 के अंत में बकाये ऋण केवल दीर्घावधि ऋण दर्शाते हैं।

<sup>2</sup> केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त 13367 लाख रुपये का ऋण सम्मिलित है और जे.एस.ई.बी द्वारा 1.4.2005 तक बकाया दर्शाया गया है।

## परिशिष्ट-6.2

(संदर्भ कडिका: 6.1.6; एवं 6.1.7; पृष्ठ सं.- 150)

अद्यतन वर्ष जिसके लिए लेखे तैयार किए गए थे, के लिए सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(कॉलम 7 से 12 एवं 15 के आंकड़े लाख रुपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र एवं कंपनी का नाम	विभाग का नाम	स्थापना की तिथि	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे तैयार किए गए	निवल लाभ (+) हानि (-)	लेखा परीक्षा टिप्पणी का निवल प्रभाव	भुगतान की गयी पूँजी	संचयी लाभ (+) हानि (-)	लगायी गयी पूँजी (क)	लगायी गयी पूँजी से कुल वापसी	निवेशित पूँजी से कुल वापसी की प्रतिशतता	वर्ष के रूप में बकाये लेखे	आवर्त	मानव शक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>क</b>	<b>सरकारी कंपनियाँ</b>														
	<b>कृषि</b>														
1.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्दह सिंचाई निगम लि.	जल संसाधन	22.3.2002	2003-04	2005-06	(-) 16.82	-	500	70.00	1085.91	(-) 16.82	-	2	164.59	302
	<b>निर्माण</b>														
2.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लि.	गृह	13.3.2002	2004-05	2005-06	106.64	20.75 लाख रु. के लाभ का अतिकथन	200	398.04	598.23	398.04	66.54	1	318.12	70
	<b>पर्यटन</b>														
3.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि.	पर्यटन	22.3.2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	77
	<b>वन</b>														
4.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि.	वन एवं पर्यावरण	27.3.2002	2002-03	2004-05	90.74	-	शून्य	90.74	90.80	90.74	99.93	3	2807.80	464
	<b>खनन</b>														
5.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि.	खान एवं भूतत्व	7.5.2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	349
<b>ख</b>	<b>सांविधिक निगम</b>														
	<b>शक्ति</b>														
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत् परिषद	उर्जा	20.3.2001	2001-02	2005-06	(-) 4944.78	-	-	(-) 4944.78	438081.45	23599.10	5.39	4	118321.02	6637
<b>ग</b>	<b>स्वायत्त निकाय</b>														
	<b>शक्ति</b>														
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत् नियामक आयोग	-	24.4.2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	प्रस्तुत नहीं किया गया

टिप्पणी : 1. प्रयुक्त पूँजी निवल स्थिर परिसम्पत्तियों को दर्शाती है (जारी पूँजीगत कार्य सहित) जोड़ कार्यरत पूँजी ( यथा चालू परिसम्पत्तियाँ, पेन्शन और उपादान के लिए प्रावधान को छोड़कर चालू दायित्व घटाव ऋण एवं अग्रिम).

2. लगायी गयी पूँजी पर कुल वापसी लाभ एवं हानि लेखे ( पूँजीकृत ब्याज को घटा कर) में भारित ब्याज जोड़ शुद्ध आधिक्य/ घाटा को दर्शाती है।

परिशिष्ट- 6.3

(संदर्भ कडिका: 6.1.5; पृष्ठ सं.-149)

पूँजी, ऋण, अनुदान एवं सहायता में वर्षवार बजटीय निर्गमन दर्शानेवाली विवरणी

क्र. सं.	नाम	लाख रुपये में			
		2004-05		2005-06	
		इक्विटी	ऋण (एल) अनुदान (जी.)	इक्विटी	ऋण (एल) / अन्य अनुदान (जी.)/ सहायता अनुदान
<b>क</b>	<b>सरकारी कंपनियाँ</b>				
1	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्दह सिचाई निगम लि.	-	-	-	-
2	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लि.	-	-	-	-
3	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि.	25.00	-	25.00 (अंश आवेदन)	-
4	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि.	-	-	-	-
5	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि.	-	-	-	-
	<b>उप योग</b>	<b>25.00</b>	<b>-</b>	<b>25.00</b>	<b>-</b>
<b>ख</b>	<b>सांविधिक निगम</b>				
1	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	-	29576.00 (एल) 34839.00 (जी.)	-	32126.00 (एल)
<b>ग</b>	<b>स्वायत्त निकाय</b>				
1	झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग	-	95.00 <sup>#</sup> (जी.)	-	110.00 (जी.)
	<b>कुल</b>	<b>25.00</b>	<b>64510.00</b>	<b>25.00</b>	<b>32236.00</b>

टिप्पणी : आँकड़े अनन्तिम हैं और जैसा कि कंपनियों, निगम तथा स्वायत्त निकाय द्वारा दिये गये हैं।

<sup>#</sup> संशोधित आँकड़े सम्मिलित है।

## परिशिष्ट- 6.4

(संदर्भ कडिका: 6.1.9 ; पृष्ठ सं.-151)

निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कडिकाओं को दर्शानेवाली विवरणी

क्र.सं.	वर्ष	नि.प्र. की सं.	भाग -II (क) की कडिकाओं की संख्या
1.	1986-87	3	5
2.	1987-88	4	6
3.	1988-89	8	13
4.	1989-90	20	40
5.	1990-91	14	7
6.	1991-92	32	32
7.	1992-93	32	33
8.	1993-94	32	36
9.	1994-95	31	33
10.	1995-96	37	23
11.	1996-97	55	34
12.	1997-98	48	64
13.	1998-99	50	32
14.	1999-00	52	15
15.	2000-01	65	36
16.	2001-02	61	48
17.	2002-03	45	35
18.	2003-04	62	83
19.	2004-05	42	104
20.	2005-06	67	95
	<b>कुल</b>	<b>760</b>	<b>774</b>